Paper Publication- Personal

Year	2016	2017	2018	2019	2020
No.	05	01	01	01	

Report- Dr. H.S. Bhatia (Commerce)

Title of Paper	Department of Teacher	Name of Journal	Year of Publication	ISSN/ISBN No.
कृषि के विकास में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का योगदानः राजनांदगांव जिले के विशेष संदर्भ में	Commerce	Indian Journal of Applied Research	2016	2249-555x Impact Factor 3.6241
कृषि जोत के घटते आकार का ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव	Commerce	Research Link Inl Journal	2016	0973-1628 Impact Factor 2.782
छ.ग. के राजनांदगांव जिले में लघु उद्योग की स्थिति	Commerce	Indian Journal of Applied research	2016	155W-224a 555x Impact Factor 3.919
A Study of retail industry formats in India	Commerce	DMV Journal	2016	0976-3007
मानव जनित जल प्रदुषणः समस्या एवं समाधान	Commerce	Research Link Inl. Journal	2016	0973-1628
छ.ग. राज्य में खनिज की स्थिति एवं उत्पादन	Commerce	Indian Journal of Applied Research	2017	2249-555x
कृषि आय का विश्लेषणात्मक अध्ययन	Commerce	Research Link Inl. Journal	2018	0973-1625 Impact Factor 2.782
छ.ग. राज्य खनिज नीति – एक अध्ययन	Commerce	Research Review Inl. Journal	2019	2455-3085 Impact Factor 5.164

प्राचार्य
शास.रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय
छुरिया
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

Certificate of Publication

ISSN No: 2249-555X

Impact Factor: 3.6241

This is to certify that

Prof./Dr. H.S Bhatiya

has contributed a paper as author/ Co-author to

INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH

Title " Krushi ke Vikas me rashtriy krushi avam gramin vikas bank ka yogdan(rajnandgauv jile ke vishesh sandarbh me) *"*

and has got published in volume 06, *Issue* 01, January 2016

The Editor in Chief & The Editorial Board appreciate the Intellectual Contribution of the author/co-author

410 *Executive Editor* *Editor in Chief* *Member, Editorial Board*

प्राचार्य
शास.रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय
छुरिया
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

Dr. H. S. Bhatia

ISSN - 2249-555X
IMPACT FACTOR:3.6241

Peer Reviewed & Referred International Journal
Journal DOI : 10.15373/2249555X

INDEX COPERNICUS IC VALUE : 74.50

INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH

Journal for All Subjects

Indexed with International ISSN Directory, Paris

www.ijar.in

VOLUME : 6 | ISSUE : 1 | January 2016

₹ 250

Scanned by CamScanner

RESEARCH PAPER | Commerce | Volume : 6 | Issue : 1 | JANUARY 2016 | ISSN - 2249-555X

कृशि के विकास में राश्ट्रीय कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक का योगदान (राजनांदगांव जिले के विषेश संदर्भ में)

KEYWORDS

डॉ. एच. एस. भाटिया
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग) षासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, जिला– राजनांदगांव (छ.ग.)

संतोष कुमार उके
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) षासकीय दिग्विजय स्वषासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव (छ.ग.)

ABSTRACT
राश्ट्रीय कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) एक षीर्ष संस्था है। नाबार्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के कृशि ऋण विभाग–ग्रामीण योजना ऋण प्रकोश्ठ, कृशि पुनर्वित्त एवं विकास निगम का कार्यभार अपने हाथ में लिया [illegible] ग्रामीण क्षेत्र में कृशि तथा कृशि से सम्बद्ध कार्यकलापों के लिये ऋण उपलब्ध कराने की नीति, योजना और कार्यसंचालन संबंधी मामलों की [illegible] और मूल्यांकन किया जाता है।

ग्रामीण विकास की कड़ी में कृशि का [illegible] स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में कृशि के विकास [illegible] षासन, राज्य षासन तथा भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों के अनुपालन में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिले में [illegible] पर सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, राश्ट्रीयकृत बैंक एवं भूमि विकास बैंक के सहयोग से अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण कृशि [illegible] किया जाता [illegible] से लाभान्वित कृशक परिवारों की आय में वृद्धि नहीं होने के कारण बकाया ऋण की राशि में वृद्धि [illegible] नाबार्ड की रिपोर्ट के अनुसार राजनांदगांव जिला नक्सल प्रभावित होने के कारण विकास की गति धीमी है जिसका प्रतिकूल प्रभाव कृशि पर भी पड़ा है [illegible] जिले के कृशक नाबार्ड की योजनाओं का समुचित लाभ नहीं ले पा रहे हैं सरकार और नाबार्ड की नीतिगत पहल के बावजूद भी कृशि के विकास में अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है।

प्रस्तावनाः–
भारतीय रिजर्व बैंक देष की मौद्रिक नीतियों की एक षीर्ष संस्था हैं। देष की अर्थव्यवस्था में हमारी श्रमषक्ति का लगभग 60 फीसदी हिस्सा आजीविका प्राप्त कर रहा हैं। 1980 के दषक के पष्चात भारतीय कृशि में काफी बदलाव लाया गया जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्गदर्षन तथा नीतियों के तहत कृशि का क्षेत्र अलग कर केन्द्रीय कार्य योजना, कृशि मंत्रालय एवं भारतीय रिजर्व बैंक के विचार विमर्ष से "राश्ट्रीय कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक [National Bank for Agriculture and Rural Development]की स्थापना 12 जुलाई– 1982 में की गयी।

उल्लेखनीय हैं, कि नाबार्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के कृशि ऋण विभाग, ग्रामीण विकास की योजना, ऋण प्रकोश्ठ और कृशि पुनर्वित्त तथा विकास निगम का कार्यभार अपने हाथ में लिया।

नाबार्ड की स्थापना कृशि, लघु उद्योग, कुटीर तथा ग्रामोद्योग, दस्तकारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों की आर्थिक गतिविधियों को लागू करने तथा प्रोत्साहन देने के लिये ऋण [Credit/Loan]उपलब्ध कराने के वास्ते की गयी ताकि समेकित विकास को ग्रामीण क्षेत्र में मजबूती के साथ लागू कर ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार के लिये पलायन तथा कृशि उत्पादन को सुदृढ़ कर ग्रामीण जनसंख्या को खुषहाल बनाया जा सकें।

नाबार्ड एक षीर्ष संस्था हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृशि तथा कृशि से सम्बद्ध कार्य–कलापों के लिये ऋण उपलब्ध कराने की नीति, योजना और कार्य संचालन संबंधी मामलों की देखभाल करती हैं।

इसे निम्नलिखित कार्य सौंपें गये हैं:–

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिये निवेष और उत्पादन तथा ऋण देने वाली संस्थाओं को षीर्ष पुनर्वित्त एजेन्सी के रूप में कार्य करना।

(2) पुनर्वित्त योजना तैयार करने, निगरानी रखने, ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं का ढॉचा सुधारने कर्मचारियों को प्रषिक्षित करने आदि के साथ–साथ ऋण वितरण प्रणाली की क्षमता बढ़ाने हेतु संस्थागत व्यवस्था को विकसित करने के उपाय करना।

(3) स्थानीय–स्तर पर विकास कार्य में लगी सभीसंस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही वित्तीय व्यवस्था में तालमेल बिठाना और केन्द्रीय/राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंकऔर नीति निर्माण से सम्बद्ध राश्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाओं से संपर्क बनाये रखना।

(4) उन परियोजनाओंकी निगरानी और मूल्यांकन करना जिनकी पुनर्वित्त व्यवस्था स्वयं नाबार्ड ने की हो।

कृशि की गिरती साख–
वर्तमान में कृशि तथा कृशि से सम्बद्ध क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 15.7 प्रतिषत का योगदान कृशि की गिरती साख का परिचायक हैं। जलवायु परिवर्तन, कृशि उत्पाद का लाभकारी मूल्य न मिलना, कृशि जोत के आकार में गिरावट, बढ़ती जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के सीमित अवसर कुछ ज्वलंत तथा जटिल समस्यायें है जिनके निराकरण के लिये वर्श 2007–08 में "राश्ट्रीय कृशि विकास परिशद" का गठन किया गया जिसके अंतर्गत 11 वीं पंचवर्शीय योजना (2007–2012) के दौरान कृशि क्षेत्र में चार प्रतिषत वार्शिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया।

उल्लेखनीय हैं, कि वर्श 1982 में 56 प्रतिषत कृशि जोत (Size of Holding)एक हेक्टेयर से कम आंकी गयी जो 2003 में 70 प्रतिषत तक बढ़ गयी भारतीय परिदृष्य में छोटी जोत के सीमांत तथा लघु कृशक गैर–आर्थिक जोत (Non-Viable) की श्रेणी में गिने जाते हैं जो बी.पी.एल. के आंकड़ों में वृद्धि कर रहे हैं।

इंदिरा गांधी षोध संस्थान नयी दिल्ली की 2015 की नवीनतम रिपोर्ट में गैर कृशि क्षेत्र विषेशकर रीयल स्टेट में श्रम की बढ़ती मांग तथा ऊंची दैनिक मजदूरी की दर ने कृशि के क्षेत्र से पलायन को तेजी से गति प्रदान कर रहा हैं।

तालिका–1
ग्रामीण जनसंख्या का गैर कृशि क्षेत्र में रोजगार

क्र.	विवरण	1993–94	1999–2000	2004–05	2009–10
1.	ग्रामीण जनसंख्या का गैर कृशि क्षेत्र में रोजगार– (संख्या प्रतिषत में)	21.6	23.7	27.3	32.1
2.	रोजगार से आय (संख्या प्रतिषत में)	31.9	38.1	38.3	42.3

स्रोत– इंदिरा गांधी षोध संस्थान नयी दिल्ली।

उपरोक्त आंकड़ों से स्पश्ट हैं, कि ग्रामीण जनसंख्या कृशि क्षेत्र से पलायन कर गैर कृशि क्षेत्र में आजीविका की तलाष कर रही हैं।

अध्ययन का उद्देष्य–
(1) राजनांदगांव जिले के कृशि विकास में नाबार्ड की योजना का अध्ययन।
(2) नाबार्ड के कृशि ऋण के भुगतान की वास्तविक स्थिति।

अध्ययन का क्षेत्र–
अध्ययन का क्षेत्र दुर्ग संभाग के राजनांदगांव जिले तक सीमित हैं। राश्ट्रीय कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 27 जिलों से संबंधित "संभाव्यता ऋण योजना" (Potential Linked Credit Plan PLP) प्रतिवर्श तैयार करता है।

राजनांदगांव जिले से संबंधित वर्श 2004–05 से 2016–17 तक की अवधि का तुलनात्मक अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों से किया गया हैं।

आंकड़ों का संकलन–
प्रस्तुत षोध पत्र में राजनांदगांव जिले में कार्यरत जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, राश्ट्रीयकृत बैंक एवं भूमि विकास बैंक द्वारा किसानों को फसल ऋण के संकलित द्वितीयक आंकड़ों का वर्श 2003–04 की अवधि मूल्यांकन किया गया हैं।

अध्ययन के परिणाम–
उल्लेखनीय हैं कि भूमि की प्रति इकाई सघनता एवं उत्पादकता में वृद्धि कृशि क्षेत्र में बेहतर व नवीनतम टेक्नालॉजी के उपयोग पर निर्भर करती हैं। कृशि के आधुनिक उत्पादन के साधन में कृशि यंत्रीकरण एक महत्वपूर्ण इनपुट हैं।

प्राचार्य
शास.रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय
छुरिया
जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

Volume : 6 | Issue : 1 | JANUARY 2016 | ISSN - 2249-555X

राजनांदगांव जिले में 172.55 हेक्टेयर क्षेत्र में एक ट्रेक्टर का उपयोग किया जाता हैं। दूसरी ओर जिले में सीमांत कृशक जिनकी कृषि भूमि एक हेक्टेयर से कम हैं, की संख्या 103227 (48.01 प्रतिषत) तथा लघु कृशकों की संख्या जिनकी कृषि जोत (Size of Hlding) दो हेक्टेयर से कम हैं, की संख्या 53304 (24.79 प्रतिषत) हैं।

कृशि विज्ञान (Agriculture Science) की मान्यता हैं, कि भारत में सीमांत तथा लघु कृशक, गैर आर्थिक (Non viable) हैं जिसके कारण कृशि से प्राप्त आय का ढांचा अत्यंत सीमित हैं अर्थात् इनकी गिनती बी.पी.एल. परिवारों में की जाती हैं।

राजनांदगांव जिले में सीमांत एवं लघु कृशकों की संयुक्त संख्या (48.01+24.79 प्रतिषत) 72.80 प्रतिषत (1506531) हैं जो 1203761 कुल रकबे (भूमि) पर कृषि कार्य करते हैं। जिले के सीमांत एवं लघु कृशक औसतन 0.79 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कृषि कार्य करते है। जाहिर हैं, कि सीमांत तथा लघु कृशक कृशि के वैज्ञानिक ढांचे में फिट नहीं होने के कारण कृषि विकास के साथ–साथ कृषि से सम्बद्ध सभी कार्यों में समुचित भागीदारी नहीं होने से इनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार/वृद्धि की संभावना क्षीण हैं।

राश्ट्रीय स्तर पर कृशि की राश्ट्रीय विकास योजना के अंतर्गत कृशि में चार प्रतिषत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया हैं। राज्य में कृशि विकास में तेजी लाने के उद्देष्य से नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार नीतिगत पहल लागू की गयी हैं–

(1) भारतीय रिजर्व बैंक की पहल–

(i)कृशि पैदावार की बिक्री हेतु किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले ऋणों को अप्रत्यक्ष कृशि ऋणों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जावेगा।

(ii) ग्रामीणक्षेत्रों में ट्रेक्टरों, कुआं खोदने वाले उपकरण, प्रेषरों, कम्बाईनों आदि रखने और किसानों के लिए ठेके पर कृशि संबंधी कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा संगठनों को दिये जाने वाले ऋणों को अप्रत्यक्ष कृशि ऋणों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जावेगा।

(2) नाबार्ड की पहल–

(i) सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली के अंतर्गत कालातीत ऋण के आकार को सीमित करने हेतु नाबार्ड ने एक विभाग बनाया हैं। इसके लिये योजना को क्रियान्वित एवं आवष्यक मार्गदर्षन व सहायता दी जायेगी।

(ii) ग्रामीण क्षेत्र को लघु उद्योगों से जोड़ने हेतु प्रषिक्षण तथा विकास–खण्ड स्तर पर लघु–कुटीर उद्योगों की स्थापना की कार्ययोजना।

(iii) ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक दृश्टि से मजबूत बनाने के लिये महिला स्वयं सहायता समूह को सूक्ष्म ऋण 8000.00 रूपये प्रति समूह को प्रदाय।

(iv) कृशि तथा कृशि से जुड़ी कार्य योजनाओं के लिए सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, राश्ट्रीयकृत बैंक तथा भूमि विकास बैंक से ऋण की योजना लागू करना है।

राजनांदगांव जिले में नाबार्ड की बुनियादी स्तर पर सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, राश्ट्रीयकृत बैंक तथा भूमि विकास बैंक द्वारा विभिन्न वर्शों में ऋण संवितरण की जानकारी तालिका– 02 में प्रस्तुत की गयी हैं।

तालिका– 02

राजनांदगांव जिले में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सभी एजेंसियों द्वारा ऋण संवितरण वर्ष 2005–06 से 2014–15 (राशि लाख रूपयों में)

क्र.	विवरण	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
1.	फसल ऋण	5160.55	4355.40	6662.34	5600.06	8971.00	11806.80	22942.95	25735.41	43319.40	46434.93
2.	लघु सिंचाई	222.07	176.86	121.81	456.30	137.35	202.48	153.86	445.13	684.25	1025.17
3	भूमि विकास	36.82	50.00	76.80	102.00	96.25	91.51	73.39	30.38	67.87	366.43
4.	कृषि यंत्रीकरण	1776.18	870.82	803.83	1326.40	1006.70	1035.91	978.03	677.01	2785.82	1860.00
5.	[illegible]	25.41	23.12	7.81	184.70	24.22	22.74	781.82	80.03	47.85	1551.22
6.	डेयरी विकास	12.75	7.86	30.83	156.28	10.84	28.28	27.84	17.83	1161.26	796.17
7.	मुर्गीपालन	492.84	822.33	2473.87	591.33	83.50	319.83	0.00	219.30	1.00	1162.06
8.	भेड़–बकरी / सुअर पालन	37.84	26.32	37.69	201.38	5048.86	48.30	44.83	61.56	2.49	0.00
9.	मत्स्य पालन	12.54	16.82	5.40	128.86	11.40	28.51	90.30	0.81	37.48	0.00
10.	वानिकी/बंजर भूमि विकास	6.71	4.64	22.20	136.66	15.48	8.79	24.04	11.17	140.79	382.73
11.	[illegible]	4.86	13.28	8.78	290.59	7.19	7.27	160.79	31.87	22.27	0.00
12.	अन्य कार्य	508.72	1644.86	2319.15	212.87	7908.14	433.46	1160.59	10629.44	2864.97	6350.78
	योग–	5821.37	7657.32	12097.68	8865.67	22900.74	14023.59	26418.29	38250.65	51124.53	59959.83

स्त्रोत– नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट– जिला राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

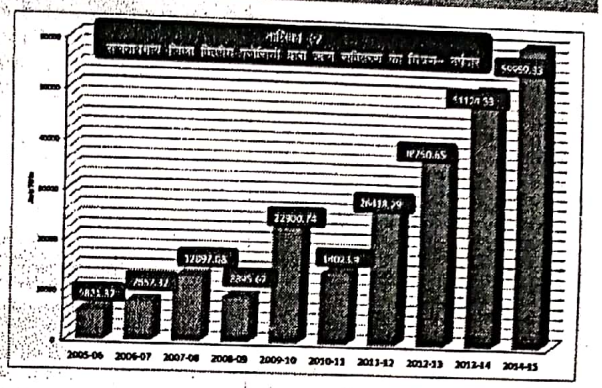

तालिका के मूल्यांकन से पता चलता हैं, कि राजनांदगांव जिले में कृशि के लिये फसल ऋण (Crop Loan) केअतिरिक्त लघु सिंचाई, भूमि विकास, कृशि यंत्रीकरण, मुर्गीपालन, डेयरी विकास, मत्स्य पालन, वानिकी आदि कार्यक्रमों के लिये उपरोक्त बैंकों में दीर्घकालिन ऋण वर्ष 2005–06 में 5821.37 लाख रूपये का प्रावधान किया गया था।

वर्श 2006–07 में फसल ऋण की मद में ऋण की राषि में वृद्धि कर 4355.40 लाख रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया। विभिन्न सेक्टरों में नाबार्ड द्वारा वित्तीय संस्थाओं के लिये कुल 7657.32 लाख रूपये का प्रावधान किया गया।

नाबार्ड द्वारा विभिन्न बैंकों की वित्तीय राषि के आवंटन में वृद्धि कर दी गयी। वर्श 2011–12, 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 में क्रमषः 22942.95, 25735.41, 43319.40 एवं 46434.93 लाख रूपये फसल ऋण वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अन्य मदों में भी उक्त वर्शों में राषि आवंटन में परिवर्तन कर क्रमषः 26418.29, 38250.65, 51124.53तथा 59959.83 लाख रूपये का आवंटन राजनांदगांव जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक, राश्ट्रीयकृत बैंक तथा भूमि विकास बैंक के सहयोग से जारी किये गये थे।

12वीं पंचवर्शीय योजना क्रियान्वयन वर्श 2012–13 से प्रारंभ हो चुका है जो 31 मार्च 2017 तक रहेगा।

राजनांदगांव जिले के कृशि विकास तथा कृशि से सम्बद्ध विविध योजनाओं के लिये 12वीं पंचवर्शीय योजना के तहत वर्श 2015–16 में फसल ऋण के लिये अल्पकालिन ऋण 67150.67 लाख रूपये, कृशि यंत्रीकरण मद में 10567.25 लाख रूपये, डेयरी विकास हेतु 2754.31 लाख रूपये तथा अन्य मदों को मिलाकर कुल 93831.90 लाख रूपये ऋण वितरित किये जाने का लक्ष्य नाबार्ड द्वारा निर्धारित किया गया हैं।

वित्तीय संस्थाओं का बकाया ऋण–

नाबार्ड की वार्शिक रिपोर्ट 2006–07 के अनुसार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का लघु कृशकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों पर विभिन्न वर्शों में बकाया ऋण की स्थिति इस प्रकार थी–

राजनांदगांव जिले में कार्यरत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक, राश्ट्रीयकृत बैंक तथा भूमि विकास बैंक का वर्श 2003–04 से वर्श 2014–15 की अवधि में किसानों के बकाया ऋण में वृद्धि के आंकड़ों को तालिका– 4 में प्रस्तुत किया गया हैं।

तालिका– 3

राजनांदगांव जिला– वित्तीय संस्थाओं का कृषि क्षेत्र में बकाया ऋण वर्ष 2003–04 से 2014–15

क्र.	वित्तीय संस्था	2003–04 (रू. 000)	2004–05 (रू. 000)	2005–06 (रू. 000)	2012–13 (रू. 000)	2013–14 (रू. 000)	2014–15 (रू. 000)
1.	वाणिज्यिक बैंक	18856	19841	24859	NA	NA	NA
2.	ग्रामीण बैंक	2795	3971	4708	105400	115409	241040
3.	सहकारी बैंक	4600	6372	6008	678788	883782	680800
4.	भूमि विकास बैंक	537	711	671	26155	25925	0
	योग	26788	30895	36246	810343	1025116	921840

स्त्रोत– राजनांदगांव जिला– नाबार्ड की रिपोर्ट 2006–07, 2015–16

तालिका– 03

राजनांदगांव जिला–वित्तीय संस्थाओं का कृषि क्षेत्र में बकाया ऋण राशि

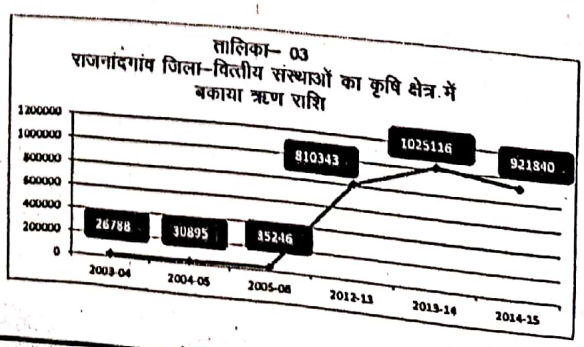

प्राचार्य
शास.रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय
छुरिया
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

Volume : 6 | Issue : 1 | JANUARY 2016 | ISSN - 2249-5

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से पता चलता हैं, कि राजनांदगंव जिले में वर्श 2003–04 से 2014–15 की अवधि में कृशि का बकाया ऋण बढ़ रहा हैं। वर्श 2003–04 में चारों बैंकों का कुल बकाया 2 करोड़ 67 लाख 88 हजार रूपये बढ़कर 2014–15 में वाणिज्यिक बैंक को छोड़कर भी 92 करोड़ 18 लाख चालीस हजार रूपये हो गया। अनुमान लगाया जा सकता हैं, कि लाभान्वित परिवारों की आय पर्याप्त नहीं होने के कारण बकाया ऋण की गंभीर समस्या बढ़ रही हैं।

केन्द्र सरकार के कृशि मंत्रालय में कृशि एवं सहकारिता विभाग ने वर्श 2014–15 के बजट में कृशि साख के मद में 8,00,000 करोड़ का प्रावधान किया हैं। इसी प्रकार षासन द्वारा तीन लाख रूपये ऋण पर चार प्रतिषत ब्याज दर पर ऋण दिया जावेगा जो निर्धारित समय पर नियमित रूप से ऋण का भुगतान करते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार कृशि लागतों में वृद्धि के फलस्वरूप वर्श 2011–12 में 5,11,029 करोड़ अर्थात 108 प्रतिषत की वृद्धि दर्ज की गयी।

नाबार्ड द्वारा राजनांदगांव जिले में वर्श 2016–17 के लिये संभाव्यता ऋण योजना के आंकलन के अनुसार 112120 हेक्टेयर हेतु धान फसल ऋण 48046. 22 लाख रूपये का आवंटन के लिए प्रस्ताव किया गया हैं अन्य फसलें– गेहूं, सोयाबीन, गन्ना, मूंगफली, चना, सब्जियों के मद में सकल 29188.64 लाख रूपये का प्रावधान किया हैं।

12वीं पंचवर्शीय योजना के अंतिम वर्श 2016–17 के लिये नाबार्ड द्वारा राजन. ंदगांव जिले के लिये ऋण योजना का संभाव्यता आंकलन 77234.86 लाख रूपये निर्धारित किया गया हैं।

प्राचार्य
शास.रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय
छुरिया
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

MO - 9425560360

Dr. H. S. BHATIA
Asstt. Professor (Com.)
Govt. Nehru PG College
DONGARGARH - 491445
Dist - Rajnandgaon (CG)

ISSN - 0973-1628

143

Issue - 143, Vol-XIV (12), February - 2016

www.researchlink.co

बहक-बहक जाता हूँ,
न इस तरह गुनगुनाया करो।
महक-महक जाता हूँ,
न जूड़े में गुलाब लगाया करो।।
माना रुप के चोर हैं सभी,
न सरेआम मुझे चुराया करो।।।

An International Registered and Referred Monthly Journal

RESEARCH Link

Impact Factor 2.782 2015

Kala, Samaj Vigyan awam Vanijya

: : CIRCULATION : :

Andaman-Nicobar / Bihar / Chattisgarh / Delhi / Goa / Gujarat / Haryana / Himachal / Jammu & Kashmir / Karnataka / Madhya Pradesh / Maharashtra / Punjab / Rajasthan / Sikkim / Uttar Pradesh / Uttranchal / West Bengal

Scanned by CamScanner

- भक्तिकालीन संत शिरोमणि गुरुनानक देव एवं उनकी शिक्षाएँ
  डॉ.कमलेश कुमार शुक्ल एवं श्रीमती हंसा तिवारी (481).....93

PSYCHOLOGY

- A Comparative Study of Anxiety of Skilled Unemployed Females of Rural & Urban Area
  DEEPAK KUMAR (443).....95
- A Comparative Study of Values of Males and Females
  LAXMAN SINGH & DR. R.K. MISHRA (464).....97
- एच.आई.वी. एड्स रोगियों का लिंग-भेद के संदर्भ में वैवाहिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन
  सोनाली काण्डपाल एवं डॉ.आर.के.मिश्र (441).....99
- सूई द्वारा नशा करने वाले रोगियों द्वारा सुधार हेतु ओ.एस.टी.उपचार के नियमित तथा अनियमित सेवन का तनाव (मानसिक) पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन
  श्वेता दीक्षित एवं डॉ.अनीता जोशी (475).....102

VISUAL ARTS

- हरियाणा राज्य के कलसिया किले का कलात्मक अध्ययन
  डॉ.भूपसिंह गुलिया एवं अवनीत कौर (462).....104

EDUCATION

- Technological Devices For Children with Special Needs
  DR. PARUL MALIK (447).....107
- शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की अभिवृत्ति में होने वाले अवरोधों का अध्ययन
  प्रो.नागेश शिन्दे एवं गजेन्द्र शर्मा (456).....109

LAW

- Effects of Adoption in Hindu Law Loop Holes of Law
  DR. NARENDRA KUMAR VERMA (478).....112

ECONOMICS

- Women Participation in Agriculture Sector
  DR. MRITYUNJAY KUMAR & BHUPENDRA KUMAR (482)....115

COMMERCE

- Infusion of Integrated Reporting in India through Corporate Governance Norms
  DR. DEVENDRA JARWAL (525 (B)).....117
- FII and FDI in Indian Economy
  SHAIKH TASLEEM AHMAD (470).....120
- भुगतान बैंक - बैंकिंग क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम
  डॉ.संजय जौहरी (525 (A)).....122
- कृषि जोत के घटते आकार का ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव
  डॉ.एस.एस.भाटिया एवं संतोष कुमार उके (382).....124
- बदलते परिवेश में ऑनलाईन शॉपिंग फायदे एवं नुकसान का विश्लेषणात्मक अध्ययन
  डॉ.कृष्णा भूरिया (525 (C)).....127
- विज्ञापन का कारोबार और भारतीय बाज़ार परिदृश्य
  डॉ.सत्यम् सोनी (H).....129

PHYSICAL EDUCATION

- Effects of Yoga on Mental and Physical Health
  DR. PRAVINDRA KUMAR (451).....131
- Effect of Mental Health on Study Habits, Teaching Attitude and Academic Stress Among Prospspective Teachers
  PRAVEEN RATHI (449).....134

HOME SCIENCE

- A Study on Childhood Obesity
  DR. VINITA SAINI (450).....136

RESEARCH PAPER

- The Social & Economical Condition of The Weavers of Bhanwarpur Area : A Study
  SMT. BHUMIKA SHARMA & DR.SANDHYA BHOI (467).....139
- Monastic Organization of Samkaracharya
  DR. MANOJ PANJANI & H. S. SANDHU (487).....142
- Democracy, Economic Growth & Equity
  DR. Y.B.L. SAXENA & JASWANT SANDHU (488).....145
- ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में गिरता भू-जलस्तर : समस्या एवं समाधान
  डॉ.रेखा शुक्ला पाण्डेय (422).....148
- पत्रकारिता का बदलता स्वरुप
  डॉ.अभय सिन्हा (388).....150

- शोधपत्र भेजने संबंधी नियम.....32, 138
- 'रिसर्च लिंक' सदस्यता फॉर्म.....152

❁❁

- हरिद्वार सेमिनार सूचना.....119

U.G.C. New Delhi Sponsored

NATIONAL SEMINAR

on

Values, Ethics and Social Responsibility

मूल्य, नीति एवं सामाजिक उत्तरदायित्व

28-29 February, 2016

Dear Colleague,

We have pleasure in inviting you cordially to participate in the National Seminar on Values, Ethics and Social Responsibility scheduled to be held on 28 - 29 February, 2016 in S.M.J.N. (P.G.) College, Haridwar. We look forward to your gracious presence and active participation to discuss the following topics.

(i) Values, Ethics and Corporate Social Responsibility.
(ii) Social Values, Ethics and Gender.
(iii) Ethical Values in Modern Business World.
(iv) Values, Ethics and Managerial Hierarchy
(v) Managerial Excellence and Social Responsibility.
(vi) Globalisation and Social Responsibility.
(vii) Economic Development and Social Responsibility.
(viii) Any other topic related to the theme.

CALL FOR PAPERS AND CONTRIBUTIONS

We request you to present a research paper in the seminar on any of the above topics. Participants are requested to send their abstract latest by 15th Feb. 2016 in M.S. Word (Hindi or English) with Text 150-200 words in single paragraph, Font-Times New Roman, Size 12 and Space Single through the E-mail : tomar.seminar2015@gmail.com OR tsinghtomar@gmail.com.

Participants are also requested to submit their full length paper for the publication of proceeding latest by 15th Feb. 2016.

NOTE : Give your preferences of dates for paper presentation along with Abstract.

REGISTRATION FEE :
For Teachers/Academicians : Rs. 500/-
For Students/Research Scholars : Rs. 400/-

Dr. A. K. Ghildial
Principal

Dr. T.S. Tomar
Organising Secretary
Mob. : 9319893039

S.M.J.N. (P.G.) College, Haridwar
[Affiliated to H.N.B. Garhwal University, Srinagar]
(A Central University)
For more details log on to www.smjn.org

प्राचार्य
शास.रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय
छुरिया
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : Commerce
Research Link - 143, Vol - XIV (12), February - 2016, Page No. 124-126
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

कृषि जोत के घटते आकार का ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव

प्रस्तुत शोधपत्र में कृषि जोत के घटते आकार का ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है। कृषि की जोत में गिरावट एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। वर्ष 1970-71 में सीमांत एवं लघु कृष्कों की संयुक्त संख्या 69.9 प्रतिशत थी। वर्ष 2010-11 में संख्या बढ़कर 84.9 प्रतिशत हो गई। जनसंख्या वृद्धि, कृषि में घाटा, सूखा, सिंचाई के साधनों की कमी, उचित मूल्य का न मिला, घटते कृषि जोत के प्रमुख कारक हैं। देश में 1970-71 में औसत कृषि जोत का आकार 2.28 हेक्टेयर था, जो पिछले दशक में घटकर 1.23 हेक्टेयर रह गया। इसका प्रभाव ग्रामीण जीवन शैली पर पड़ा और ग्रामीण कृषक परिवार, गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार तलाशकर प्राप्त रोजगार से जीवनयापन कर रहा है। कृषि जोत को नियमित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कृषि पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरुप कृषि संसाधन उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त वैकल्पिक एवं पूरक रोजगार उपलब्ध कराने की जरुरत है, जिससे कृषकों की स्थिति मजबूत होगी और वे कृषक जो कृषि जोत से विमुख हो रहे हैं, पुनः खेती करने में सक्षम होंगे।

डॉ.एस.एस.भाटिया* एवं संतोष कुमार उके**

कृषि परिदृश्य :

देश की लगभग 70 प्रतिशत से अधिक आबादी की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) का लक्ष्य भारत को विकास प्रक्रिया में प्रोत्साहित कर समाज के सभी वर्गों में आर्थिक संतुलन सुधार कर पिछली विकास दर की तुलना में तेजी लाना है। आशा की गई है, कि योजना के अंत तक यह तेजी और अधिक संरचानात्मक एवं परिस्थितियों के अनुकूल होगी।

वर्ष 1996 में देश की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य जीविका का साधन कृषि क्षेत्र से जुड़ा था तथा देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कृषि का योगदान 29.00 प्रतिशत था। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था कई तरह की समस्याओं से ग्रसित है। जैसे घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि का योगदान कम हो रहा है। वहीं खेती से विमुख होने वाले किसानों की संख्या बढ़ रही है। देश में कृषि की जोत इतनी कम हो गई है, कि इससे भरण पोषण करना चिन्ता का विषय बनता जा रहा है। कृषि में सीमांत उत्पादकता बहुत कम होते जाने के कारण अब कृषि पर निर्भरता को कम किए जाने की आवश्यकता है। जीवन यापन के प्रमुख स्त्रोत के रूप में कृषि पर निर्भरता यदि बढ़ती गई तो यह भारतीय कृषि के लिए संकेत अच्छे नहीं है।

प्रकृति पर आधारित कृषि भी कृषि जोत के गिरावट का एक कारण बनती जा रही है। देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ एवं सूखे का प्रकोप, प्राकृतिक आपदा से फसल की क्षति और ऋणों के भार के कारण बड़े पैमाने पर कृषक खेती छोड़ने को मजबूर हुए हैं। पिछले एक दशक के दौरान महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, हिमाचल प्रदेश में लाखों किसानों ने कृषि को तिरस्कृत किया है, तो वहीं छोटे राज्यों उत्तराखण्ड, मेघालय, मणिपुर और अरूणाचल में भी किसानों की संख्या कम हुई है और खेतिहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई है।

देश में कृषि मजदूरों की संख्या 2001 में 10 लाख 68 हजार कृषि मजदूर थे, यह संख्या 2011 में बढ़कर 14 करोड़ 43 लाख हो गई। आंकड़ों से पता चलता है, कि खेती करने वाले कृषक खेतिहर मजदूर बनते जा रहे हैं। 70वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 90 प्रतिशत किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि रह गई है।

जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि की अनिश्चितता के कारण जनसंख्या का कृषि निर्भरता पर दबाव कम होता चला गया। वर्ष 2001–02 में कृषि का जी.डी.पी. में योगदान घटकर 22 प्रतिशत तथा वर्ष 2011 में 15.7 प्रतिशत पर सिमट गया।

भारतीय कृषि अनुसंधन परिषद (Indian Council for Agriculture Research- ICAR) के 83वें स्थापना दिवस 16 जुलाई, 2011 को नयी दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने देश में "दूसरी हरित क्रांति" की जरूरत पर बल दिया।

...हमें खाध्य पदार्थ की कमी पर काबू पाने और भूखमरी को दूर करने की स्थिति से बाहर आने में मदद मिली। हमें इस बात की चिन्ता होनी चाहिए कि वर्षों के कालक्रम में भारतीय कृषि की उत्पादकता स्थिर हो गयी है। स्पष्ट तौर पर हमें "दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है, जो अधिक विशाल, अधिक समावेशी, अधिक सतत् हो।"

अध्ययन के उद्देश्य :

(1) कृषि जोत के आकार में गिरावट का अध्ययन।

*सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग), शासकीय नेहरु स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)
**सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग), शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

ग्रंथालय
शास.रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय
छुरिया
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

(2) गैर कृषि क्षेत्र में बढ़ते रोजगार के अवसर।

(1) कृषि जोत के आकार में गिरावट :

वर्ष 1970–71 में सीमांत कृषकों (1.00 हेक्टेयर) की संख्या 51 प्रतिशत तथा लघु कृषकों की संख्या 18.9 प्रतिशत थी। संयुक्त रूप से इन दोनों श्रेणियों में कृषकों की संख्या 69.9 प्रतिशत थी। जनसंख्या वृद्धि, कृषि में घाटा, सूखा तथा उचित मूल्य का न मिलना, ऐसे कारण हैं, जिसकी वजह से सीमांत तथा लघु कृषकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

वर्ष 2010–11 में सीमांत किसानों की संख्या बढ़कर 67 प्रतिशत तथा लघु कृषकों की संख्या 17.9 प्रतिशत अर्थात् कुल मिलाकर सीमांत एवं लघु किसानों की संख्या 84.9 प्रतिशत हो गयी।

नवीनतम अध्ययन (इण्डियन डवलपमेंट रिपोर्ट–2015) ".....in a Span of four decades there has been a majar decline in form size with 16 percentage points"

11वीं पंचवर्षीय में कृषि के मूल्यांकन अध्ययन में समाज के दो प्रमुख वंचित समुदाय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों में वर्ष 2003 में औसत कृषि जोत की भूमि क्रमशः 0.3 हेक्टेयर तथा 0.77 हेक्टेयर बताया गया है।

उल्लेखनीय है, कि देश के सीमांत तथा लघु कृषक गैर आर्थिक कृषक (Non-Viable Farmer) माने जाते हैं, जो बी.पी.एल परिवार की सीमा में आते हैं।

भारत–औसत कृषि जोत (हेक्टेयर)

वर्ष	जोत का आकार
1970–71	2.28
1976–77	2.00
1980–81	1.84
1985–86	1.69
1990–91	1.55
1995–96	1.41
2000–01	1.33
2005–06	1.23

स्त्रोत : मध्यावधि मूल्यांकन 11वीं पंचवर्षीय योजना आयोग।

केन्दीय कृषि एवं सहकारिता विभाग की कृषि गणना में रेखांकित किया गया है, कि देश में औसत कृषि जोत का आकार लगातार कम होता जा रहा है, जो कृषि उत्पादकता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

(2) गैर कृषि क्षेत्र में बढ़ते रोजगार के अवसर :

भारतीय परिदृश्य में ग्रामीण जीवन शैली में बदलाव हो रहा है। रोजगार के अवसर सीमित तथा घटते जा रहे हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (महंगाई) बढ़ रहा है। क्रय शक्ति कम हो रही है। यद्यपि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के 100 दिनों में रोजगार गारण्टी की दशा 48 दिन की है, ही रह गयी (राष्ट्रीय औसत)।

ग्रामीण जीवन शैली कृषि के मकड़जाल से मुक्त होना चाहती है। उनके जीवन शैली में शहरी उपभोक्ता संस्कृति की दस्तक, संचार (टी.वी. कल्चर) तथा मोबाइल क्रान्ति ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर गैर कृषि क्षेत्र (Non form sector) में जीविका की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।

नेशनल सेंपल सर्वे रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है, कि गैर कृषि क्षेत्र (Non form sector) में रोजगार के अवसरों में तेजी आई है। वर्ष 1993–94 में इस क्षेत्र में 21.6 प्रतिशत ग्रामीण परिवार को रोजगार प्राप्त था, 1999–2000 में बढ़कर 23.7 प्रतिशत, वर्ष 2004–05 (एक दशक) में 27.3 प्रतिशत तथा 2009–10 में 32.1 प्रतिशत ग्रामीण ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रहे थे।

इसका सबसे बड़ा कारण यद्यपि रोजगार अस्थायी क्षेणी में आते है, परन्तु रीयल स्टेट, सड़क निर्माण, निजी क्षेत्र में फैक्ट्री तथा लघु उद्योगों में लगातार काम का मिलना, जबकि कृषि क्षेत्र में नियमित रोजगार की कोई सम्भावना नहीं है।

यद्यपि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, तथापि ग्रामीण परिवेश में जनसंख्या की आय भी उसी अनुपात में बढ़ी है। वर्ष 1993–94 में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के कारण परिवारों की आय 31.9 प्रतिशत थी, 1999–2000 में बढ़कर 35.1 प्रतिशत, वर्ष 2004–05 में 38.3 प्रतिशत तथा 2009–10 में 42.5 प्रतिशत आय में वृद्धि हुई। (एन.एस.एस.ओ.)

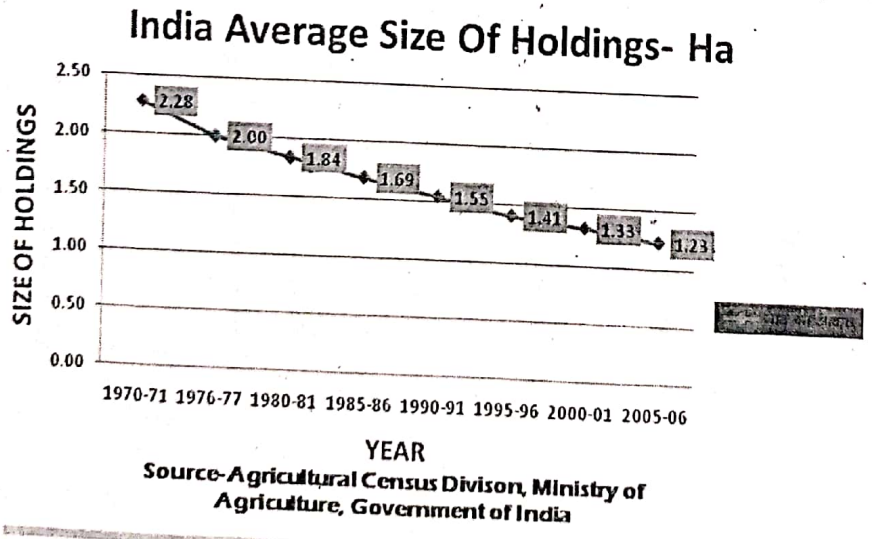

भारतीय कृषि–नकारात्मक संकेतक :

(1) वर्ष 1977–78 में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 44.8 प्रतिशत था, वर्ष 2004–05 में घटकर 20.8 प्रतिशत रह गया। (1993–94 के प्रचलित मूल्य पर)

(2) 1960–61 में भारत में औसत कृषि जोत 2.63 हेक्टेयर से घटकर 2003 में 1.06 हेक्टेयर रह गया। (एन.एस.एस.ओ.) 59वॉं अध्ययन) इसी अवधि में सीमांत कृषकों की संख्या 39.1 प्रतिशत से बढ़कर 69.7 प्रतिशत हो गयी।

प्राचार्य
शास.रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय
छुरिया
जिला-

Scanned by CamScanner

(3) वर्ष 1980–81 से 1990–91 की अवधि में सभी फसलों के उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 3.19 प्रतिशत से घटकर 1999–2001 में 1.96 प्रतिशत रह गयी।

(4) 2004–05 में कृषि क्षेत्र से जुड़े 357 मिलियन व्यक्ति कुपोषित भोजन से जुझ रहे हैं, इनमें से 85.1 प्रतिशत कृषि श्रमिक सीमांत तथा लघु कृषक थे।

(5) कृषि क्षेत्र से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 3.5 रूपये, कृषि व्यवसाय से 5.1 रूपये तथा गैर कृषि क्षेत्र से 8.4 रूपये की आय क्रमशः भूमिहीन, सीमांत तथा लघु कृषकों को प्राप्त थी।

(6) 1990 में 34867 तथा 2003 में 32386 ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक बंद कर दिए गए।

(7) दिसंबर 1987 में अनुसूचित वाणिजियक बैंक कृषि हेतु 18 प्रतिशत ऋण किसानों को उपलब्ध कराते थे, मार्च–2004 में 11 प्रतिशत कृषि ऋण उपलब्ध कराया गया।

(8) 1.2 हेक्टेयर के 51 प्रतिशत भूमि–स्वामी, छोटी जोत 2.00 हेक्टेयर के 46 प्रतिशत कृषक तथा 66.4 प्रतिशत 10.00 हेक्टेयर से अधिक के भू–स्वामी बैंकों के कर्जदार थे।

(9) योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य प्रो. अभिजीत सेन के अनुसार पिछले 15 वर्षों में 10 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि क्षेत्र से बाहर हो चुकी है।

(10) वर्ष 2001 में देश में 12.70 करोड़ किसान थे, जिनकी संख्या 2011 में घटकर 11.87 करोड़ रह गयी।

(11) पिछले एक दशक में महाराष्ट्र में 7.56 लाख, राजस्थान 4.78 लाख, असम– 3.30 लाख तथा हिमाचल में 1 लाख से अधिक कृषकों ने खेती को तिलांजलि दे चुके हैं।

(12) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, नयी दिल्ली के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 में 5650 किसानों ने कृषि से हुए नुकसान के कारण आत्महत्या की थी। किसानों की खुदकुशी के मामले में महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं मध्यप्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है।

निष्कर्ष :

देश में कृषि की विकराल समस्याओं के निराकरण के लिए केन्द्र शासन ने एक नयी योजना का परिचालन किया है– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (Rashriya Krishi Vikas Yojna) 25000 करोड़ रूपये की लागत के साथ 2007–08 में प्रारंभ की गयी। यह योजना राज्यों को कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों को और अधिक धन बांटने के लिए प्रोत्साहित करने में सफल रही। योजनाकाल के दौरान सम्बद्ध क्षेत्रों को 4 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त कराने और उनकी प्राथमिकताओं एवं कृषि–पर्यावरणीय जरूरतों के अनुसार राज्यों को चुनने, योजना बनाने, स्वीकृत करने और कृषि को संचालित करने के अधिकार दिए, जिससे हस्तक्षेपों और कृषि मूलभूत संरचनाओं को उत्पन्न किया और सक्षम बनाया जा सके।

देश में कुल 1440 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर खेती होती है। इसमें 60 प्रतिशत क्षेत्र ऐसा है, जो अब भी सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है। यदि सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्र की औसत उत्पादकता, वर्षा आधारित क्षेत्र से 3 से 4 गुना अधिक है, तो कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने से वर्षा पर आधारित क्षेत्र की उत्पादकता में भी 3 से 4 गुना वृद्धि हो सकती है। जिसके परिणामस्वरूप सीमांत/लघु कृषक अपनी छोटी जोत पर कृषि करने में सफल होंगे।

कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिये कौशल विकास कार्यक्रम को लघु उद्योगों के साथ जोड़कर वैकल्पिक और पूरक रोजगार उपलब्ध कराने होंगे। इससे ग्रामीणों को आय प्राप्त होगी और वह कृषि करने में अपने आप में सक्षम होगा।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों ने कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के सभी हिस्सों के लिये 8770.16 करोड़ रूपये (कुल राज्य योजना का 4.88 प्रतिशत) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आवंटित किया, जिसके फलस्वरूप योजनाकाल के दौरान कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के सभी हिस्सों के लिये 5768 से अधिक परियोजनाएँ स्वीकृत की गयी।

योजनाकाल में स्वीकृत परियोजनाओं का कारगर क्रियान्वयन किया जाए, तो देश में कृषकों की आत्महत्या करने की प्रवृत्ति में कमी आयेगी और जिन कृषकों ने कृषि को तिलांजलि दी है, उनमें कृषि करने की प्रबल इच्छा बनेगी, जिससे कृषकों के साथ–साथ देश की भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

<u>संदर्भ</u> :

(1) India-Social Development Report 2010] Council for Social Development Oxford University Press, New Delhi- 2011.

(2) India Development Report- 2015, Indira Gandhi- Institute of Development Research, oxford University Press New Delhi- 2015.

(3) Mid- Term Apprisal Eleventh five year plan 2007-2012 Planning Commission, Govt of India New Delhi-2011.

(4) आई.सी.ए.आर. के 83वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री का संबोधन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली।

(5) पत्रिका (समाचार पत्र) 23 दिसंबर, 2014, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

(6) भारत – 2015, प्रकाशन विभाग, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

❁ ❁

Principal
Govt.Rani Suryamukhi Devi College
Chhuria,Distt.-Rajnandgaon (C.G.)
Pin Code- 491558

Scanned by CamScanner

Certificate of Publication

ISSN No: 2249-555X | Index Copernicus (IC) Value : 74.50 | Impact Factor: 3.919

This is to certify that

Prof./Dr. H.S.Bhatia

has contributed a paper as author/ Co-author to

INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH

*Title "*Chhattisgarh ke Rajnandgauv Jile me Laghu Udhyog Ki Sthiti*"*

and has got published in volume 06, *Issue* 03, March 2016

The Editor in Chief & The Editorial Board appreciate the Intellectual Contribution of the author/co-author

प्राचार्य
शास.रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय
छुरिया
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

299 *Executive Editor* *Editor in Chief* *Member, Editorial Board*

Scanned by CamScanner

RESEARCH PAPER | Commerce | Volume : 6 | Issue : 3 | March 2016 | ISSN - 2249-555X | IF : 3.919 | IC Value : 74.50

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में लघु उद्योगों की स्थिति

KEYWORDS

डॉ एच एस भाटिया
सहायक प्राध्यापक(वाणिज्य)
शास.नेहरू,स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगढ़,जिला –राजनांदगांव(छ.ग.)

सत्यदेव त्रिपाठी
सहायक प्राध्यापक(वाणिज्य) शास.रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय घुमका, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

ABSTRACT छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला राजनांदगांव जिला औद्योगिक दृष्टि से 'B' (Backword) श्रेणी का जिला है। यह मुख्यतः ग्रामीण जनसंख्या और आदिवासी बाहुल्य वाला जिला है। वर्तमान में जिले में सूक्ष्म, लघु, मध्यम,वृहद एवं मेगा प्रोजेक्ट श्रेणियों की औद्योगिक इकाइयों का परिचालन हो रहा है। मेरे अध्ययन का मुख्य केन्द्र जिले में लघु उद्योगों की स्थापना की प्रवृत्ति इनमें वर्षवार पूंजी विनियोजन एवं रोजगार उपलब्धता की स्थिति का आकलन कर लघु उद्योगों की स्थिति ज्ञात करनी है ताकि भविष्य में जिले के आर्थिक विकास में इन उद्योगों के योगदान को चिन्हांकित किया जा सके।

प्रस्तावना :–

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये अत्यन्त उपयोगी लघु उद्योगों नें देश में बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न बेरोजगारी और आर्थिक विषमता, गांवो में शहरों की ओर पलायन रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय लघु उद्योग का अतीत बड़ा स्वर्णिम रहा है। प्राचीन भारतीय लघु एव कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित सूतीवस्त्र,बहुमूल्य धातुकर्म, जवाहरात के काम,काष्ठ नक्काशी आदि विश्वविख्यात थे। प्राचीन भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योगों को उस समय उत्पादित सभी वस्तुओं में निपुणता प्राप्त थी। अतीत में भारत को विश्वव्यापार का सिरमौर बनाने वाली लघु उद्योग इकाइया अपनी उत्कृष्ठ उत्पादन कौशल कला की पुनरावृत्ति आज भी कर सकते है। साथ ही निर्यात संवर्धन, विश्वव्यापार में प्रभुत्व,रोजगार उत्पादन आदि प्रबल चुनौतियों का सामना लघुउद्योगों के माध्यम से सहजता के साथ किया जा सकता है। अध्ययन का उद्देश्य :– मेरे द्वारा छत्तीसगढ के राजनांदगाव जिले मे लघुउद्योगों की स्थिति विषय को शोध के लिये चयन करने के प्रमुख उद्देश्य निम्न है :–

(1) राजनांदगांव जिले के औद्योगिक परिदृश्य में लघु उद्योगो की स्थिति का पता लगाना।
(2) लघु उद्योगों द्वारा दिये जाने वाले रोजगार उत्पादन की वर्तमान स्थिति एवं भावी संभावनाओं का पता लगाना।
(3) लघुउद्योगों के स्थापना एवं संचालन में आने वाली समस्याओ का पता लगाना एवं उसके निराकरण हेतु उपाय प्रस्तुत करना।

अध्ययन की सीमायें :–

(1) मेरा अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक समंको पर आधारित है और उपलब्ध समंको की विश्वसनीयता,प्रमाणिकता,सत्यता और सार्थकता की पूर्णरूपेण जांच करने के उपरान्त ही इसका उपयोग किया गया है।
(2) अध्ययन में प्राथमिक समंको का संकलन औद्योगिक सूची में से प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र से 05–05 लघु उद्योगो का दैव–निदर्शन पद्धति द्वारा चयन कर किया गया है।
(3) प्राथमिक समंक केवल राजनांदगांव जिले के लघु उद्योगो से संबंधित है एवं ये समंक केवल वर्ष 2000–01 से 2012–13 के है।

हमारे देश मे करोड़ो ऐसे लोग है जिनके जीवन की तीन मूलभूत आवश्यकतायें–रोटी,कपड़ा और मकान की भी पूर्ति नहीं हो पाती। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब। इस आर्थिक विषमता की गहरी खाई को पाटना तभी संभव है जब गरीब भी अपनी शारीरिक ,मानसिक और आर्थिक क्षमतानुसार उद्यमिता को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करें। ऐसा केवल लघुउद्योगो पर आधारित आर्थिक संरचना से ही संभव है।

मेरा अध्ययन 1 नवंबर, 2000 से पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के उपरान्त राजनांदगाव जिले में लघुउद्योगो के विकास,इनमें पूंजी विनियोजन एवं रोजगार उपलब्धता पर आधारित है, जो कि निम्नतालिका से स्पष्ट हो रहा है :–

तालिका क्रमांक 1
जिले मे लघुउद्योगो की स्थापना की वर्षवार प्रवृत्ति

वर्ष	स्थापित इकाइयां	पूंजी विनियोजन (लाख रू में)	रोजगार उपलब्धता
2000–01	301	360.07	743
2001–02	52	31.34	259
2002–03	168	172.90	517
2003–04	31	157.13	361
2004–05	42	297.67	362
2005–06	47	497.45	396
2006–07	32	889.49	407
2007–08	42	133.92	466
2008–09	54	218.14	527
2009–10	45	1251.99	963
2010–2011	60	1470.47	677
2011–2012	158	246.24	606
2012–2013	64	1281.38	471
	1096	7028.19	6755

स्रोत: जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, राजनांदगांव (छ.ग.)

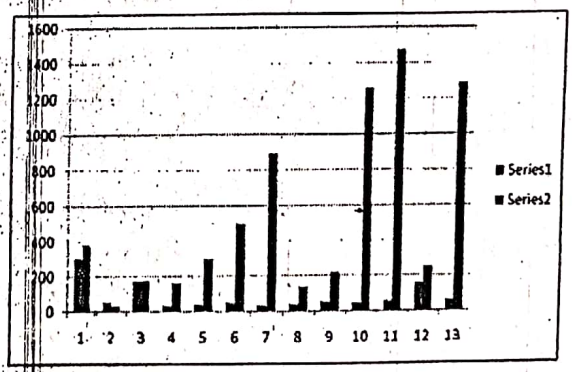

चित्र क्रमांक – 01 स्थापित इकाई और पूंजी विनियोजन

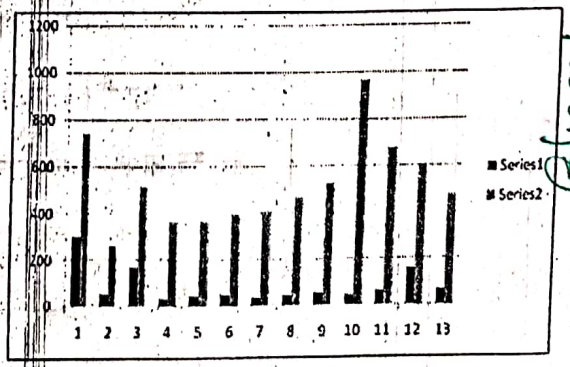

चित्र क्रमांक – 02 स्थापित इकाई और रोजगार उपलब्धता

उपरोक्त तालिका क्रमांक 1 के विश्लेषण से यह ज्ञात हो रहा है कि राज्य निर्माण

प्राचार्य
शास.रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय
छुरिया
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

ISSN - 2249-555X
IMPACT FACTOR: 3.919

A Peer Reviewed, Referred, Refereed & Indexed International Journal

Journal DOI : 10.15373/2249555X
INDEX COPERNICUS IC VALUE : 79.96

INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH

Journal for All Subjects

www.ijar.in

Volume - 7 | Issue - 1 | JANUARY 2017

₹ 500

प्राचार्य
शास.रानी मुर्यमुखी देवी महाविद्यालय
छुरिया
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

RESEARCH PAPER | Commerce | Volume - 7 | Issue - 1 | January - 2017 | ISSN - 2249-555X | IF : 3.919 | IC Value : 79.96

छत्तीसगढ राज्य में खनिज की स्थिति एवं उत्पादन

KEYWORDS

डॉ. एच.एस. भाटिया
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय रानी. सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय छुरिया जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
निर्देशक

श्वेता तिवारी
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल महाविद्यालय,रायपुर (छ.ग.)
शोधकर्ता

प्रस्तावना –

खनिज संसाधन मानव सभ्यता एवं संस्कृति के आधारभूत स्तंभ माने जाते है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी प्राकृतिक संपदा के दोहन पर निर्भर करती है। प्राचीन काल से ले कर वर्तमान तकनीकी एवं वैज्ञानिक युग में खनिजों का उपयोग निरंतर किसी ना किसी रूप में होता चला आ रहा है। राष्ट्र की आर्थिक संरचना पर औद्योगीकरण का विशिष्ट प्रभाव पड़ता है, इसलिए आधुनिक भारत के शिल्पी प. जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि "भारत के उद्योग एवं कारखाने ही इसके तीर्थ स्थल एवं मंदिर हैं।" इस कथन से औद्योगिक विकास की आवश्यकता एंव महत्व स्पष्ट है।

"आकर प्रभव कोश" अर्थात खान कोश का स्त्रोत हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र की यह उक्ति आज की परिस्थितियों में भी खनिज संपदा से परिपूर्ण हमारे छत्तीसगढ राज्य के लिए प्रासंगिक है। आज के औद्योगिक युग में खनिजों का संसाधनों की उपयोगिता इतनी बढ गई है कि कोई भी राष्ट्र इसके बिना अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकता।

छत्तीसगढ राज्य खनिज संपदा की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से इसका संपूर्ण राष्ट्र में द्वितीय स्थान है। इस नवसृजित राज्य में औद्योगिक महत्व के खनिजों यथा कोयला, लोहा, बाक्साइट, चूनापत्थर, डालोमाइट के विशाल भंडार मौजूद है। इनके अतिरिक्त आर्थिक महत्व का खनिज स्वर्ण, सामरिक महत्व का खनिज टिन अयस्क तथा रत्न सम्राट हीरा भी यहां पाया जाता है। इस प्रदेश का 44% से अधिक भाग वनप्रान्तरों से आच्छादित है तथा अधिकांश खनिज पदार्थ इन्हीं वनप्रान्तरों एवं पहाड़ियों में पाये जाते हैं। छत्तीसगढ राज्य खनिज संपदा की दृष्टि एक अग्रणी राज्य है। प्रदेश में लगभग 28 विभिन्न प्रकार के खनिज पाये जाते है जिनमें बहुमूल्य रत्न भी सम्मिलित है। प्रदेश पूरे राष्ट्र में एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है तथा इसे विश्व के बहतरीन लौह अयस्क धारित राज्य की उपाधी व गौरव भी प्राप्त है। राज्य में कोयले के 50846 मिलियन टन भण्डार है व राष्ट्र के कुल कोयला उत्पादन में राज्य की सहभागिता 21.10% है। लौह अयस्क भण्डार राष्ट्रीय लौह अयस्क का 18.21% योगदान दे रहा है।

आर्थिक महत्व वाले स्वर्ण, सामरिक महत्व के खनिज जैसे टिन,रत्न सम्राट हीरा भी यहां पाया जाता है। इस प्रदेश का 44 प्रतिशत से अधिक भाग वनप्रांतो से आच्छादित है तथा अधिकांश खनिज पदार्थ इन्हीं वनप्रांतो एवं पहाड़ियों में पाये जाते है। छत्तीसगढ राज्य खनिज संपदा की दृष्टि से एक अग्रणी राज्य है। पूरे राष्ट्र मे राज्य एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है। खनिज संपदा की उपलब्धता की दृष्टि से भारत का यह क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। यह आर्कियन शिल्ड क्षेत्र है जिसका संपूर्ण भाग उडीसा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ का उत्तरी भाग आदि से बना है। छत्तीसगढ के आग्नेय कायांतरित और तलछटी क्षेत्रो में अनेक प्रकार के खनिज पाये जाते है। कोयला, कच्चा लोहा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, डालोमाइट तथा टिन के विशाल भंडार राज्य के विभिन्न हिस्से में प्रचुर मात्रा में है। यहां खनिज संसाधनों से उत्खनन, खनिज आधारित उद्योग लगाने और रोजगार को बढावा देने की अपार क्षमता है।

छत्तीसगढ राज्य प्रमुख खनिज भंडार

क	खनिज का नाम	ईकाई	देश में कुल भंडार	छत्तीसगढ में कुल भंडार	देश में छ.ग. का प्रतिशत
1	कोयला	मिलियन टन	306595.56	54912	17.91
2	लौह अयस्क (हेमटाइट)	मिलियन टन	17882	3292	18.41
3	चूना पत्थर(सभी श्रेणी)	मिलियन टन	184935	8959	4.84
4	डालोमाइट	मिलियन टन	7731	847	10.96
5	बाक्साइट	मिलियन टन	3480	171	4.91
6	टिन अयस्क	मिलियन टन	83.72	30	35.83
	टिन धातु	टन	102275	15487	15.14
7	क्वार्टजाइट	मिलियन टन	1251	27	2.16
8	क्वार्टज एण्ड सिलिका सेंड	मिलियन टन	3499	9	0.26
9	फलोराइट	मिलियन टन	18	0.55	3.06
10	हीरा	लाख कैरेट	319	13	4.07
11	फायर क्ले	मिलियन टन	714	21	2.94
12	(चायना क्ले)	मिलियन टन	2705	15	0.55
13	कोरण्डम	टन	740792	885	0.12
14	स्वर्ण आर (प्रायमरी)	मिलियन टन	494	5	1.01
	स्वर्ण धातु (प्रायमरी)	टन	660	5.51	0.83
15	गारनेट	मिलियन टन	57	0.03	0.05
16	टाल्क / स्टीयटाइट सोपस्टोन	मिलियन टन	269	0.11	0.04
17	ग्रेनाइट	लाख घनमीटर	56230	50	0.11
18	मार्बल	मिलियन टन	1931	83	4.30

छत्तीसगढ राज्य में उपलब्ध मुख्य 28 खनिज में खनिज विपणन व खनन लगभग 20 प्रकार के खनिजों का किया जा रहा है, जिस हेतु राज्य के कुल खदानों की संख्या 202 है। छत्तीसगढ वन संपदा की भांति खनिज संपदा की दृष्टि से भी संपन्न क्षेत्र है। राज्य के विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थो की उपलब्धता राज्य के खनिज आधारित उद्योगों का बहुत विकास हुआ है। राज्य में धात्विक खनिज दक्षिण भाग में व अधात्विक खनिज मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है। छत्तीसगढ में सर्वाधिक प्रकार के खनिज बस्तर जिले में पाये जाते है।

छत्तीसगढ के खनिज संसाधनों की विशेषता :-

(1) खनिज संसाधन पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधन है।
(2) खनिज विभिन्न छत्तीसगढ में स्थित चट्टानों से बनते है।
(3) छत्तीसगढ राज्य के खनिज संसाधन में बहुमूल्य रत्न शामिल हैं।
(4) खनिज संसाधनों द्वारा उत्पादित धातु की सहायता से विद्युतीय संसाधनों का निर्माण किया जाता है
(5) खनिज संसाधन राष्ट्र व राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
(6) खनिज संसाधन विदेशी विनिमय व घरेलू विनियमन में सहायक है।

छत्तीसगढ राज्य की खनिज संपदा का उत्पादन –

भारत के खनिज क्षेत्रों में छत्तीसगढ "भारतीय खनिज के हृदयस्थल कहा जाता है। छत्तीसगढ के उत्तरपूर्वी व मध्य भाग से मिलकर भारत का संपूर्ण खनिज क्षेत्र बना है। खनिज पदार्थ प्रकृति के उपहार है। इनकी स्थिति अनादिकाल से है अतः इन्हें न तो बढाया जा सकता है और न प्रत्यारोपित किया जा सकता है। यह उपभोग से निरंतर क्षय होने वाली प्राकृतिक संपदा है। छत्तीसढ राज्य इन प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ का आज " खनिज का कटोरा", "रत्नगर्भा छत्तीसगढ "आदि विशेषणों से विभूषित किया जा रहा है। छत्तीसगढ अपने खनिज भण्डारों के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। खनिज संसाधन मानव सभ्यता एवं संस्कृति के आधर–भूत स्तंभ माने जाते है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी प्राकृतिक संपदा के दोहन पर निर्भर करती है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तकनीकी एवं वैज्ञानिक युग में खनिजों का उपयोग निरंतर किसी ना किसी रूप में होता चला आ रहा है। आज के औद्योगिक युग में खनिज संसाधनों की उपयोगिता इतनी बढ गयी है कि कोई भी राष्ट्र इसके बिना अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकता। छत्तीसगढ राज्य खनिज संपदा की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है खनिज उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण राष्ट में द्वितीय स्थान है। इस नवसृजित राज्य में औद्योगित महत्व के खनिज, कोयला, लोहा, बाक्साइट, चूनापत्थर, डोलोमाइट के विशाल भंडार उपलब्ध हैं।

छत्तीसगढ में खनिज उत्पादन की स्थिति खनिज उत्पादन मात्रा–समूहवार (लाख टन मे)

वित्तीय वर्ष	कोयला	धात्विक खनिज	अधात्विक खनिज	गौण खनिज	योग
10&11	1138-24	314-30	208-34	207-80	1868-68
11&12	1139-18	328-20	217-52	227-94	1912-84
12&13	1178-38	297-81	221-42	194-19	1891-80
13&14	1270-93	314-70	236-56	227-83	2050-02
14&15	1313-96	309-84	259-69	226-18	2139-67

उपरोक्त तालिका मे देश में खनिज के कुल भंडार व छत्तीसगढ राज्य में कुल भंडार को दर्शाया गया है, व छत्तीसगढ का देश के कुल खनिज उत्पादन का प्रतिशत तालिका में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तालिका में छत्तीसढ के खनिज उत्पादन की उत्तरोतर वृद्धि व देश में अपने खनिज संसाधनों की सहायता से राज्य की स्थिति प्रदर्शित है। जो कि देश की प्रगति में सहायक है।

प्राचार्य
शास.रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय
छुरिया
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)
Scanned by CamScanner

Volume - 7 | Issue - 1 | January - 2017 | ISSN - 2249-555X | IF : 3.919 | IC Value : 79.96

निष्कर्ष –

छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है जिसमें खनिज एक प्रमुख संसाधन है। इतनी विशाल खनिज संपदा से संपन्न होने के बावजूद भी हमारा राज्य आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। इस आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु तीव्रगति से औद्योगिकीकरण एक विकल्प के रूप में माना जा रहा है। खनिज आधारित उद्योगों, खनिज के पर्याप्त दोहन से राज्य के लोगों को पर्याप्त रूप से रोजगार मिल सकेगा। प्रदेश के विकास में सुदूर आदिवासी क्षेत्र में विकास की प्राथमिकता से वहाँ के उपलब्ध खनिजों का पर्याप्त दोहन हो सकेगा, व पर्याप्त दोहन व संरक्षण से इन क्षेत्रों का विकास स्वतः हो जाएगा तथा क्षेत्र का सामाजिक व आर्थिक रूप से विकास होगा। खनिज संपदा विकास का प्रमुख संसाधन है। सर्वेक्षण व अन्वेषण के सुनियोजित कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकृत खनिज संपदाओं का दोहन किया जा सकता है विभिन्न खनिज दोहन विधियाँ खनन के तरीका को निर्धारित करती है। खनन चुनौतियों को पूरा करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञता को एकत्रित करना आवश्यक है। राज्य में उपलब्ध अकूत प्राकृतिक संपदा एवं खनिज संपदा के पर्याप्त दोहन से राज्य के विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा सकती है।

संदर्भित ग्रंथ सूची (REFERENCES)

1. इंडियन मिनरल इयर बुक 2012 (प्रकाशित मार्च 2014 अनुसार)
2. 01.04.2015 स्थिति में (Inventory of Coal Resources (GSI)) दिनांक 06.06.2015
3. भारत की खनिज संपदा भारत शासन नई – दिल्ली
4. छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा एवं खनिज आधारित उद्योग
5. खनिज सांख्यिकी 2009 एवं 2012
6. www.mines.nic.in
7. www.chhattisgarh.nic.in
8. www.chhtisgarhmines.gov.in
9. www.ministryofmines.in
10. www.mines.nic.in

प्राचार्य
शास.रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय
छुरिया
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

UGC APPROVED

Welcome to UGC, New.Delhi, India
www.ugc.ac.in

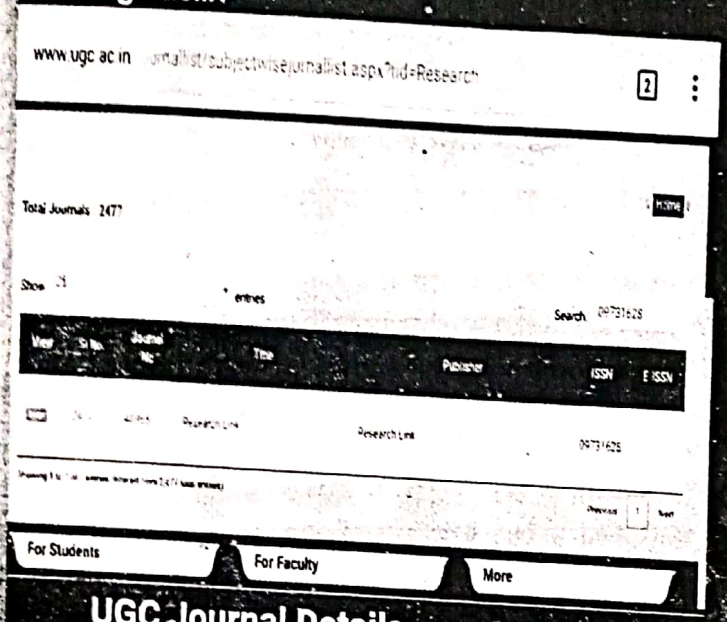

UGC Journal Details

Name of the Journal :	Research Link
ISSN Number :	09731628
e-ISSN Number :	
Source:	UNIV
Subject:	Accounting;Anthropology;Business and International Management;Economics, Econometrics and Finance(all);Education;Environmental Science(all);Finance;Geography, Planning and Development;Law;Political Science a;Social Sciences(all)
Publisher:	Research Link
Country of Publication:	India
Broad Subject Category:	Arts & Humanities;Multidisciplinary;Social Science

प्राचार्य
शास.रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय,
छुरिया
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

ISSN - 0973-1628

Since 2002 **160**

Issue - 160, Vol-XVI (5), July - 2017

www.researchlink.co

प्राचार्य
शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय,
पोस्ट-छुरिया, जिला-राजनांदगांव
छुरिया-राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)
छुरिया-राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

An International Registered and Referred Monthly Journal

RESEARCH Link

Impact Factor 2.782 2015

Kala, Samaj Vigyan awam Vanijya

₹ 250/-

:: CIRCULATION ::

Andaman-Nicobar / Bihar / Chattisgarh / Delhi / Goa / Gujarat / Haryana / Himachal / Jammu & Kashmir / Karnataka / Madhya Pradesh / Maharashtra / Punjab / Rajasthan / Sikkim / Uttar Pradesh / Uttranchal / West Bengal

Scanned by CamScanner

UGC Approved Journal - Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : Research Link - 160, Vol - XVI (5), July - 2017, Page No. 127-128
ISSN - 09[illegible] 1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782
Research Paper

कृषि आय का विश्लेषणात्मक अध्ययन
(छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के ग्राम सेमरा के संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र में कृषि आय का विश्लेषणात्मक अध्ययन, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के ग्राम सेमरा के संदर्भ में किया गया है। कृषि मौसम पर आधारित होती है। यदि मौसम अच्छा हो, तो कृषि से आय अधिक होती है और इसके विपरीत यदि मौसम अच्छा नहीं हुआ तो कृषि से आय कम होती है। ग्राम सेमरा, रायपुर जिले के अंतर्गत आता है। प्राचीन काल में यहाँ सिंचाई का साधन नहीं होने के कारण कृषि की पैदावार कम होती रही। आज के इस वर्तमान युग में सिंचाई के अनेक साधन होने के कारण यहाँ कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। तत्पश्चात् सिंचाई के उत्पादन होने के कारण यहाँ अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ के कृषक शिक्षित हो चुके हैं तथा सरकारी सुविधाओं का लगातार लाभ ले रहे हैं।

डॉ.पूजा तिवारी* एवं डॉ.एच.एस.भाटिया**

भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी देश के लगभग 70 प्रतिशत लोग देश में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में संलग्न है। देश के सकल उत्पाद का लगभग 28 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र का है। जबकि प्रदेश में कृषि या कृषि वस्तुएँ 20 प्रतिशत तथा कृषि उत्पाद से बनी वस्तुएँ 20 प्रतिशत अर्थात कुल 40 प्रतिशत हिस्सा इसी क्षेत्र का है। देश में जनता की कृषि पर निर्भता तथा कृषि के महत्ता को इस बात से समझा जा सकता है, कि जन–साधारण में उपयोग बचत में कृषि उत्पाद का हिस्सा लगभग 85 प्रतिशत है। विश्व के मुख्य विकासशील देशों में अग्रणी होने के बाद भी भारत आज कृषि प्रधान देश है। स्पष्टतः छ.ग. की स्थिति देश की औसत स्थिति से भिन्न ही है। यह राज्य कृषि क्षेत्र में देश के अत्यंत पिछड़े अंचलों में से एक हैं।

छत्तीसगढ राज्य को पूर्णतः कृषि पर निर्भर प्रदेश कहा जाए, तो अतिश्योक्ति नहीं होगी, यहाँ की लगभग 63 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या की आजीविका कृषि से सम्बंध है। प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 42.93 प्रतिशत कृषि भूमि है। यहाँ कृषि परम्परागत तथा लगभग मानसून पर निर्भर है। अतः प्रदेश की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अर्थात् मानसून की कृपा हुई तो अच्छा उत्पादन या वर्ष भर की खुशहाली अन्यथा अनावृत्ति की स्थिति में अकाल अर्थात दुर्दशा, भूखमरी एवं पलायन जैसी अभिशाप ग्रामीण कृषि का भाग्य बन जाता है। साथ ही अतिवृष्टी भी इसी प्रकार की स्थितियां निर्मित करती है। मानसून का धोखा एवं इससे उत्पन्न कुचक्र प्रत्येक वर्षों में घटित होते रहते है। सिंचाई की उपलब्ध सुविधाएँ अपर्याप्त है। कृषि भूमि का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा सिंचित क्षेत्र 19.96 है सिंचाई की पहुँच से दूर है। प्रदेश में एक मानसूनी फसल वह भी मुख्यतः चावल की ली जाती है। शायद यही कारण है, की छत्तीसगढ को धान का कटोरा कहा जाता है। जो अधिक सिंचाई पर ही निर्भर है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या कृषि आय से अधिक से अधिक अपव्यय कर रही है, जो व्यय को अधिक प्रवाह करती है।

यह राज्य छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला के अभनपुर तहसील के अंतर्गत आता है। ग्राम सेमरा की कुल जनसंख्या 937 है।

इस गाँव का कुल क्षेत्रफल 455.84 हेक्टेयर है। शास. भूमि 229.16 हेक्टेयर व गैर शास. भूमि 226.68 हेक्टेयर है, जिसमें खरीफ फसल 711.10 हेक्टेयर भूमि पर उपज की जाती है। जिसमें से 665.50 हेक्टेयर सिचिंत भूमि है तथा 45.60 हेक्टेयर असिंचित भूमि है।

यहाँ रबी फसल 70.40 हेक्टेयर भूमि पर उपज करते हैं, जिसमें 24.00 हेक्टेयर सिचिंत भूमि है व 46.40 हेक्टेयर असिंचित भूमि है।

ग्राम सेमरा नया राजधानी के पास एक अभनपुर ब्लाक का ग्रामीण क्षेत्र है। अतः नया राजधानी का क्षेत्र होने के कारण से यहाँ वर्तमान में विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएँ चलायी जा रही हैं। यह प्राचीन काल में यह अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र था। लेकिन वर्तमान में सिंचाई के साधन अत्यधिक विस्तृत होने के कारण इनकी कृषि से संबंधित कियाएँ अत्यधिक विकासशील होती जा रही है। कई सरकारी योजनाओं को अपनाने के कारण कृषि आप में वृद्धि करेगी।

वर्ष 2014–2015 का छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद का अग्रिम अनुसार प्रचलित गाँवों का 210191 करोड़ रूपये है, जो की विगत वर्ष से 13.2 प्रतिशत अधिक है ।

ग्राम सेमरा की कृषि आय

कृषि से आय	
वर्ष	कृषि से आय
2012–2013	2000012
2013–2014	3461417
2014–2015	4523068
2015–2016	5423061

प्राचार्य
शास.रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय
छुरिया
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

*सेठ फूलचन्द अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, छुरिया, जिला-राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)
**शासकीय महाविद्यालय, गोबरा, नयापारा, रायपुर (छत्तीसगढ़)

Scanned by CamScanner

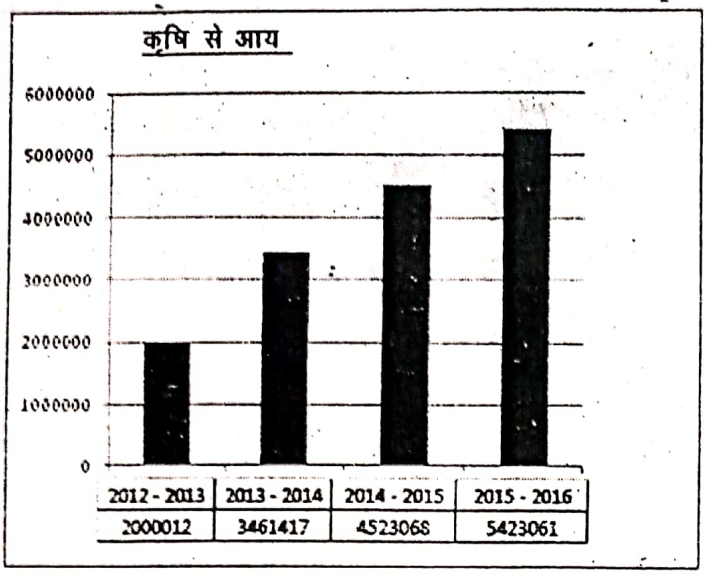

कृषि की वर्तमान स्थिति :

छ.ग. कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तथा छ.ग. प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। कृषि आयकर मुक्त होती है। यहाँ के व्यक्ति कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधों पर अश्रित है। छ.ग. की कुल भूमि 51.6 प्रतिशत भाग में कृषि कार्य किया जाता है। प्रदेश के 37.46 लाख कृषक परिवारों में से 76 प्रतिशत लघु सीमांत श्रेणी में आते हैं। वर्तमान में प्रदेश के सभी स्त्रोतों से लगभग 31.00 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जिसमें से सर्वाधिक 64 प्रतिशत क्षेत्र सिंचाई जलाशयों के माध्यम से सिंचित है, जो अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है। छत्तीसगढ की मुख्य फसल धान है। धान बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण छ.ग. के मैदान को धान का कटोरा कहा जाता है।

ग्राम सेमरा का कृषि भूमि विवरण

ग्राम का कुल क्षेत्र	455.84 हेक्टेयर
घास. भूमि	229.16 हेक्टेयर
गैर घास भूमि	226.68 हेक्टेयर

निष्कर्ष :

उपर्युक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि कृषि मौसम पर आधरित होती है। अर्थात् मौसम अच्छा हो, तो कृषि से आय अधिक होती है और इसके विपरीत यदि मौसम अच्छा नहीं हुआ तो कृषि से आय कम होती है।

चूंकि ग्राम सेमरा रायपुर जिले के अंतर्गत आता है। प्राचीन काल में यहाँ सिंचाई का साधन नहीं होने के कारण कृषि की पैदावार कम होती रही। आज के इस वर्तमान युग में सिंचाई के अनेक साधन होने के कारण यहाँ कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। तत्पश्चात् सिंचाई के उत्पादन होने के करण यहाँ अनेक प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। जैसे –गेहूँ, चना, गन्ना, भूट्टा इत्यादि। यहाँ के कृषक शिक्षित हो चुके हैं तथा सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं।

❁❁

प्राचार्य
...नी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय

शोध-पत्र भेजने संबंधी नियम

(1) शोध-पत्र 1500-1700 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।

(2) हिन्दी एवं मराठी माध्यम के शोधपत्रों को कृतिदेव 10 (Kruti Dev 010) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजें।

(3) पंजाबी माध्यम के शोधपत्रों को अनमोल लिपि (AnmolLipi) या अमृत बोली (Amritboli) या जॉय (Joy) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजें।

(4) अंग्रेजी माध्यम के शोधपत्र टाईम्स न्यू रोमन (Times New Roman), एरियल फोंट (Arial) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' या 'माइक्रोसाफ्ट वर्ड' में भेजे जा सकते हैं।

(4) शोधपत्र की विधि - (1) शीर्षक (2) एबस्ट्रेक्ट (3) की-वर्ड्स (5) प्रस्तावना/प्रवेश (5) उद्देश्य (6) शोध परिकल्पना (7) शोध प्रविधि एवं क्षेत्र (8) सांख्यिकीय तकनीक (9) विवेचन या विश्लेषण (10) सुझाव (11) निष्कर्ष एवं (12) संदर्भ ग्रंथ सूची।

(6) संदर्भ ग्रंथ सूची इस प्रकार दें -

For Books :

(1) Name of Writer, "Name of Book", Publication, Place of Publication, Year of Publication, Page Number/numbers.

For Journals :

(2) Name of Writer, "Title of Article", Name of Journal, Volume ....., Issue ....., Page Numbers.

Web references :

http://utc.iath.virginia.edu/interpret/exhibits/hill/hill.html

(7) गुजराती माध्यम के शोधपत्र हरेकृष्णा (Harekrishna), टेराफोंट वरुण (Terafont Varun), टेराफोंट आकाश (Terafont Aaksah) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजे जा सकते हैं।

(8) शोधपत्र की साफ्टकॉपी रिसर्च लिंक के ई-मेल आईडी researchlink@yahoo.co.in पर भेजने के बाद हॉर्डकॉपी, शोधपत्र के मौलिक होने के घोषणा पत्र के साथ हस्ताक्षर कर 'रिसर्च लिंक' के कार्यालय को प्रेषित करें।

❁❁

'रिसर्च लिंक' की सदस्यता का शुल्क भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा सीधे ट्रांसफर या जमा किया जा सकता है। बैंक का विवरण निम्नानुसार है-

बैंक : स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

ब्रांच : ओल्ड पलासिया इन्दौर,

कोड : SBIN 000 3432

खाते का नाम : रिसर्च लिंक

खाता नंबर : 63025612815

भुगतान की मूल रसीद, शोध पत्र एवं सीडी के साथ कार्यालयीन पते पर भेजना अनिवार्य है।

Scanned by CamScanner

RESEARCH REVIEW JOURNALS

CERTIFICATE OF PUBLICATION

RESEARCH REVIEW
International Journal of Multidisciplinary

e-ISSN: 2455-3085
Impact Factor: 5.164 [SJIF]

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

UGC Approved Journal
Journal No.: 44945

Journal is Indexed in
Google Scholar, IIJIF, SJIFactor, RESEARCH BIBLE, DRJI, GIF, UGC, Zenodo, Researcher ID [by Thomson Reutors]

Issued w.e.f. Nov-2018 Issue

This is to certify that Research Paper/ Article/ Case Paper entitled

छत्तीसगढ़ राज्य की खनिज नीति एक अध्ययन

Authored By

डॉ. एच. एस. भाटिया; डॉ. श्वेता तिवारी

प्राचार्य
शास.रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय
छुरिया
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

has been published in Volume-4 | Issue-05 | May-2019 in this International Peer Reviewed ISSN Indexed Online Research Journal.

Ref. No. RRJ20190405234
Issued Date: 25-May-2019
editor.rrjournals@gmail.com
www.rrjournals.com

RESEARCH REVIEW JOURNALS eISSN 2455-3085 AHMEDABAD

Chief Editor

Certificate Verification visit: http://rrjournals.com/View-Certificate

Research Review Journals All Rights Reserved

Scanned by CamScanner

RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-05
May-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

छत्तीसगढ़ राज्य की खनिज नीति एक अध्ययन

[1]डॉ. एच. एस. भाटिया, [2]डॉ. श्वेता तिवारी

[1]सहायक प्राध्यापक शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय छुरिया (छ.ग.)
[2]सहायक प्राध्यापक महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज,रायपुर (छ.ग.)

प्रस्तावना –

छत्तीसगढ राज्य प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। भारत के खनिज क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ को भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के उत्तरपूर्वी व मध्य भाग से मिलकर भारत का संपूर्ण खनिज क्षेत्र बना है। छत्तीसगढ़ राज्य खनिज संपन्न राज्यो में से एक अग्रणी राज्य है। प्रदेश में लगभग 28 विभिन्न प्रकार के खनिज, जिनमें बहुमूल्य रत्न भी सम्मिलित है, पाये जाते है। इनमें हीरा, लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाईट, टिन, अयस्क, बाक्साइट, स्वर्ण आदि प्रमुख हैं। हीरा तथा स्वर्ण की उपलब्धता के साथ ही प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर में एक मात्र टिन उत्पादक राज्य तथा विश्व के बेहतरीन लौह अयस्क धारित राज्य होने का गौरव भी प्राप्त हैं।

परिचय–

खनिज संसाधन क्षमता का अधिकाधिक उपयोग एवं राज्य के घरेलू उत्पाद को खनिजों की सहायता से दुगुना करने, खनन के क्षेत्र में एक मजबूत एवं सर्वसम्मत विकास की नीति अपनाने राज्य की खनिज नीति बनायी जाती है। प्रत्येक खनिज धारित राज्य खनिज नीति का क्रियान्वयन करता है जिससे राज्य में आर्थिक एवं औद्योगिक विकास संभव हो सके। खनन क्षेत्र राज्य के लिए आर्थिक लाभ एवं रोजगार जुटाने के बेहतरीन अवसर प्रदान करने की क्षमता रखता हैं, यद्यपि इस दृष्टि से राज्य के सामने कुछ प्रमुख समस्यायें है, जैसे पूंजी निवेश की कमी, पुरानी तकनीक का उपयोग, कमजोर अधोसंरचना, सीमित निर्यातोन्मुखी अवसर। राज्य के खनन परिलक्षित समस्याओं के निवारण हेतु खनिज नीति का कियान्वयन किया जाता है व समय समय में नीतियों में परिर्वतन किया जाता है।
छत्तीसगढ़ राज्य की खनिज नीति राज्य की खनिज नीति 2013 में राज्य में उपलब्ध खनिजों के समुचित विकास एवं उपयोग, गुणवत्ता को प्रोत्साहन, खनिज क्षेत्र में स्थानीय एवं विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु व्यवसायिक वातावरण तैयार करने, प्रक्रियाओं का सरलीकरण एवं निर्णयों में पारदर्शिता हेतु नियम बनाये गये हैं। खनिज नीति 2013 के पश्चात् राज्य की "परिकल्पना 2015"[1] के अनुसार खनन के क्षेत्र में एक मजबूत एवं सर्वसम्मत विकास की नीति के लिए दिशा निर्धारित की गयी है।

राज्य को खनिज नीति की विशेषताएं –

- अधोसंरचना तथा मानव संसाधनों का विकास करना।
- गुणवत्ता को प्रोत्साहन देना तथा खनन विकास करना।
- संस्थागत विकास कार्यकम करना तथा नियमों का परिकरण किया जाना।

खनिज क्षेत्र के विकास के अतिरिक्त उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य खनिज निगम का भी गठन किया गया है। नीति का विशेष उद्देश्य उन अवसरों का सदुपयोग करना है जो राज्य शासन को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के अन्तर्गत वर्ष 1999–2000 में प्रदत्त अन्य शक्तियों एवं प्रक्रियागत सरलीकरण के कारण निर्मित हुई है। खनिज क्षेत्र में चलाये जा रहे सुधार कार्यो की ओर भी यह नीति इंगित करती है। इस दिशा में राज्य अन्य खनिज बहुल राज्यों से सलाह कर प्रचलित कानूनों में उपयुक्त सुधार एवं नए नियमों का निर्माण करता है।

नीतियों की समीक्षा एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य द्वारा नीति क्रियान्वयन समिति की स्थापना की गई है। समिति के प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सचिव, नीति के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को चिन्हांकित कर हल करते है। इस समिति के अतिरिक्त राज्य जिला स्तर पर कार्य दल (जिसमें संचालनालय तथा स्थानीय उद्योगों के प्रतिनिधि होते हैं) गठित किये जाते हैं, जिनके द्वारा खनिज अन्वेषण रासायनिक विश्लेषण, अवैध खनन तथा परिवहन रोकने तथा राजस्व निर्धारण एवं राजस्व चोरी रोकने हेतु कार्य योजना बनायी जाती है। इस नीति के क्रियान्वयन में राज्य द्वारा पर्यावरण एवं सामाजिक पहलुओं के मध्य समन्वय सुनिश्चित किया जाता है एवं परिस्थितिकीय संतुलन के पालन एवं उन्नयन के प्रति उद्यमियों को जागरूक किया जाता है ।

अधोसंरचना एवं मानव संसाधन का विकास –

[1] खनिज नीति 2013 प्रकाशित संचालनालय भौमिक तथा खनिकरण

RRIJM 2015 All Rights Reserved

प्राचार्य
शास.रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय
छुरिया

Scanned by CamScanner

खनिज क्षेत्र की सुदृढ़ता हेतु अधोसंरचना तथा मानव संसाधनों का विकास करना आवश्यक है, जिससे खनिजों के उपयोगकर्ता, कच्चे माल के स्त्रोत एवं मध्यवर्ती उपयोगकर्ता के बीच आपसी समन्वय स्थापित होना आवश्यक है। इस हेतु राज्य की खनिज नीति में निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं :–

- अधोसंरचना के विकास के समय खनिज उद्योग की आवश्यताओं का ध्यान रखा जाता है। अधोसंरचना सुविधाओं के निर्माण हेतु योजना बनाने एवं उनका क्रियान्वयन करने वाले विभाग जैसे छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग आदि के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है।
- खनिज प्राप्त सुदूर क्षत्रों के विकास के लिये सड़क, खनिजों के राज्य के भीतर एवं बाहर परिवहन हेतु आवश्यक रेल लाईनों का निर्माण किया जाता है। इस हेतु राज्य सरकार, जहॉ संभव हो, पहुंच मार्ग बनाने हेतु केन्द्र सरकार योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि से आंशिक सहायता प्राप्त करती है।
- ऊर्जा नीति के तहत् खनिज आधारित उद्योगों को स्वयं के उद्योग हेतु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- खनिज क्षेत्र के तकनीकि ज्ञान जैसे भूविज्ञान, प्रस्तर विज्ञान, भू–रसायन, भू–भौतिकी, पर्यावरण विज्ञान, खनिज प्रसंस्करण आदि के लिये आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जाता है।
- विभाग में कार्यरत तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक तकनीकों की जानकारी व प्रशिक्षण हेतु देशतथा विदेशभेजा जाता है।
- खनन कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करने विशेष खनिज क्षेत्रों की पहचान हेतु सभी जिलों के लिये "जोनिंग एटलस" तैयार किये जाते हैं जिससे समूह खनन पद्धति को प्रोत्साहित किया जा सके ताकि परिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ने न पाये।
- खनिज उत्खनन हेतु उपयुक्त स्थलों का विकास कर उन्हें पट्टे पर देने की कार्यवाही को प्रोत्साहित किया जाता है। खनिज पट्टे के लिये न्यूनतम क्षेत्रों की समीक्षा की जाती है एवं सुरक्षित भूमि अधिकार उपलब्ध कराये जाते है जिससे निवेशक खनन क्षेत्रों में अधिकाधिक नियोजन सुरक्षित रूप से कर सके।
- औद्योगिक अधोसंरचना के विकास हेतु मुख्य अधोसंरचना जैसे सड़क, बिजली, पानी, सचार व्यवस्था का विकास किया जाता है तथा बड़े औद्योगिक क्षेत्र होने की स्थिति में सामाजिक अधोसंरचना जैसे अस्पताल, शाला आदि का निर्माण कराया जाता है।
- खनिज क्षेत्र में नये निवेशकों को आकर्षित करने हेतु रत्न तथा आभूषण पार्क की स्थापना कर निवेश में वृद्धि की जाती है।

गुणवत्ता संवर्धन तथा खनिज विकास –

खनिज क्षेत्र के अन्वेषण एवं पूर्वेक्षण हेतु निजी क्षेत्रों से भागीदारी में वृद्धि, प्रदेश में उपलब्ध बिखरे छोटे भण्डारों का समुचित दोहन एवं विकास हेतु सतत् प्रकिया आवश्यक है। इस हेतु राज्य में निम्नलिखित कदम उठाये जाते है –

1. अनुसंधान एवं विकास

खनिज भण्डारों के आंकलन तथा खनिज धारित क्षेत्रों की पहचान हेतु चलाये जा रहे सुदूर संवेदी, टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण, विस्तृत भौमिकी मानचित्रण कार्यक्रमों का विस्तार, निम्न श्रेणी अयस्कों को उपयोगी बनाने हेतु परिष्करण विषयक अध्ययन किया जाता है। दुर्लभ खनिजों के लिए प्रतिस्थापना अध्ययन तथा छोटे खनिज भण्डारों के औद्योगिक उपयोग हेतु प्रयास किये जाते है। राज्य शासन द्वारा वर्तमान में स्थित प्रयोगशालाओं में सुधार हेतु कदम उठाये जाते हैं। राज्य में रासायनिक, प्रस्तर, भू–भौतिकी तथा फोटो–भौतिकी प्रयोगशालाओं को आधुनिक उपकरण प्रदान कर सुसज्जित किया गया है। आधुनिक एवं पर्यावरण संवेदी तकनीकों की उपलब्धता को उपकरणों, यंत्रो तथा मशीनों के माध्यम से सुलभ बनाया जाता है।

2. निर्यात संवर्धन

छत्तीसगढ़ राज्य की खनिज सपदा को विश्वव्यापी बाजार में पहचान दिलाने व आर्थिक विकास को सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य द्वारा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रर्दशनीयों, व्यापार मेलों तथा सेमिनारों का आयोजन तथा उनमें उपस्थिती दर्ज करायी जा रही है। साथ ही राज्य के खनिज बाजार की अद्यानुतन जानकारी सुलभ कराने हेत भ्रमण/दौरों का आयोजन किया जाता है। विभाग द्वारा संभावित निवेशकों को आकर्षित करने हेतु त्रैमासिक पत्रिका 'छत्तीसगढ़ खनिज बुलेटिन' का प्रकाशन तथा वितरण किया जाता है। खनिज व्यापार के लिये वित्तीय योजनाओं को स्थापित करने प्रोत्साहन दिया जा रहा है। विदेशी क्रेताओं को स्थानीय वितरकों के साथ जोड़ने,बाजार अंश को बढ़ावा देने एवं बाजार में नई संभावनाओं की पहचान हेतु प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। प्रदेश में निर्यातोन्मुखी उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को खनिज पट्टा स्वीकृति में प्राथमिकता देने हेतु नियम बनाये गये हैं। खनिजों को मूल्य सवंर्धित रूप में निर्यात को बढ़ावा देने प्रयास किये जा रहे हैं। खनिज

प्राचार्य
शास.रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय
छुरिया
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

PRIJM 2015 All Rights Reserved

Scanned by CamScanner

संसाधनों के वास्तविक मूल्य आंकलन हेतु प्रदेश के खनिज भण्डारों को धीरे–धीरे संयुक्त राष्ट्र प्रवर्तित वर्गीकरण ढांचा (यू.एन. फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन सिस्टम) के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जा रहा है।

3. निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहन

खनिज आधारित उद्योगों का राज्य में विस्तार करने हेतु विभाग द्वारा कई नियम बनाये गये है जिससे राज्य में निजी क्षेत्रों की भागीदारी में वृद्धि होगी। निजी क्षेंत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु खनिज आधारित उद्योगों को विशेष उद्योग का दर्जा प्रदान कर उद्योग नीति के तहत् प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। बहुमूल्य खनिज जैसे हीरा तथा अन्य रत्न, स्वर्ण, आधारभूत धातु, टिन, बाक्साइट आदि हेतु निजी/विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाता है। खनिजों की अद्यतन जानकारी तैयार कर खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया। निजी क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों में पाये जाने वाले खनिज भण्डारों को खनन हेतु अनुमति प्रदान किया गया जिससे खनिज ससाधनों का विकास व प्रदेश के अविकसित क्षेत्रों का भी विकास संभव हो सके। इस प्रकार की अनुमति देते समय आदिवासी जनता के हितों को संरक्षित किया जाता है । इसके अंतर्गत विस्तृत पुनर्वास योजना समाहित होती है। उपयुक्त खनन क्षेत्रों एवं सार्वजनिक उपक्रमों हेतु आरक्षित क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें निजी क्षेत्रों को खनन हेतु उपलब्ध करायी जाती है। प्रदेश में प्रोसेसिंग परिकरण संयंत्र स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को खनिज पट्टा स्वीकृति में प्राथमिकता दी जाती है।

4. ग्रेनाइट भण्डारों का विकास तथा लघु पैमाने पर खनन

राज्य में बहूमूल्य ग्रेनाइट भण्डारों के विकास एवं संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के " ग्रेनाइट संरक्षण तथा विकास नियम 1999"1 को प्रदेशमें लागू किया गया है। ग्रेनाइट के खनन हेतु वन क्षेत्रों में "समूह खनन" को बढ़ावा देने की दृष्टि से छोटे आकार की निकटवर्ती ग्रेनाइट अनुज्ञप्तियों को स्वीकार किया जाता है। ग्रेनाइट खदानों जिनमें निजी–सार्वजनिक क्षेत्र की साझेदारी हो उनके विकास को प्राथमिकता दी जाती है। ग्रेनाइट खनन से उत्पन्न निरूपयोगी टुकड़ो को अलग से एकत्रित कर इस पर सामान्य इमारती पत्थर की दर से राजस्व वसूल किया जाता है। छोटे भण्डारों की औद्योगिक उपयोगिता निर्धारित करने हेतु उनका विस्तृत पूर्वेक्षण किया जाता है। आर्थिक दोहन को छोटे भण्डारों हेतुप्रोत्साहित कर वैज्ञानिक विकास को प्राथमिकता दी जाती है। छोटे खनिज भण्डारों के दोहन अपेक्षाकृत व्यवस्थित क्षेत्र में परिवर्तित करने हेतु कार्ययोजना बना कर अनुसूचित क्षेत्रोंमें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते है। खनिजों के अधिकतम दोहन तथा तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान को सुगम बनाने हेतु स्थानीय छोटे खनिजों तथा बड़े विनियोजकों के मध्य साझेदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रसंस्करण तथा खनिज विपणन व्यवस्था को सहयोगी सेवायें उपलब्ध करायी जाती है।

संस्थागत विकास एवं नियमों का परिशोधन –

खनिज क्षेत्रों के दीर्घकालीन विकास को सुनिश्चित करने एवं निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु एक स्थिर पारदर्शी तथा प्रभावी संस्थागत एवं नियामक ढ़ॉचा स्थापित किया गया है। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म में संभावित निवेशकों को मार्गदर्शन/सेवायें उपलब्ध कराने हेतु एक विशेष कक्ष की स्थापना की गयी है। संचालनालय भौतिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ तथा प्रदेशमें खनिज अन्वेषण हेतु कार्यरत अन्य केन्द्रीय संस्थाओं के मध्य अन्वेषण कार्य की पुनरावृत्ति से बचने हेतु समन्वय स्थापित किया जा रहा है। शासन, खनन समूहों एवं अन्य शासकीय विभागों जैसे वन, राजस्व भूमि, पर्यावरण आदि के मध्य खनिज क्षेत्र में प्रभावी विकास की दृष्टि सेएक औपचारिक परामर्श विधि स्थापित की गयी है। विभाग में राज्य खनिज विकास निगमकी स्थापना नोडल एजेंसी के रूप में खनिज विकास हेतु की गई है। निगम द्वारा कार्यरत खदानों में श्रेणी सत्यापन हेतु सहयोग, खनिज आधारित उद्योगों, तथा अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण आदि में निवेश हेत, प्रेरित किया जाता है।

1. नीतिगत एवं नियामक सुधार

विभाग द्वारा खनिज नीति के अंर्तगत नीतिगत एवं नियामक सुधार हेतु प्रकिया निर्धारित कर सुधार कार्यकम आयोजित किये जाते हैं। लघु एवं दीर्घ पैमाने की खनन संक्रियाओं को एक करने हेतु अनुज्ञा प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाती है। खनिज रियायतें स्वीकृत करने हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है जिसके अंतर्गत मुख्य खनिजों के प्रस्ताव केन्द्र शासन को भेजे जाते हैं व गौण खनिजों हेतु नियम राज्य में बनाये जाते हैं। कोयला, हीरा, लौह अयस्क, आदि की रॉयल्टी (राजशुल्क) दरों में समयबद्ध पुनरीक्षण हेतु भारत शासन से अनुरोध किया जाता है । केन्द्र शासन द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के अनुरूप अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन तथा खनिज राजस्व की हानि रोकने हेतु कठोर प्रावधान किये जाते है। गौण खनिजों खदानों को नीलामी द्वारा प्रदाय करने के अधिकार जिला कलेक्टर को दिये गये है व इनमें प्राप्त राजस्व ग्राम पंचायतों के विकास हेतु सुरक्षित रखा जाता हैं। निर्यात संवर्धन, परिष्करण/प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना आदि के आधार पर सर्वोत्तम आवेदक के चयन हेतु "पहले आओ पहले पाओ"1 को आधार मानने के स्थान पर जिस दिनांक क्षेत्र अनारक्षित घोषित किया गया हो उससे 30 दिन के अंदर प्राप्त आवेदन पत्र को

प्राचार्य
शास.रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय
छुरिया
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

RRIJM 2015, All Rights Reserved

Scanned by CamScanner

प्राथमिकता दी जाती है। निरीक्षण करने हेतु श्रेणी विशेषज्ञों व अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है। निरीक्षण गलती निकालने की दृष्टि से नहीं वरन वेधन, विस्फोटक, लोडिंग, परिवहन, सुरक्षा, संरक्षण, तकनीकी पुनर्निर्माण एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के आंकलन हेतु किये जाते हैं।

2. पर्यावरण संरक्षण हेतु नियमों का निर्धारण

विभाग द्वारा खनिज पट्टों के अनुबंध में वृक्षारोपण, खदान से निकले अनुपयोगी पदार्थों को अन्य स्थान पर एकत्रित करने, बंद खदानों के समुचित उपयोग आदि के संबंध में शर्तें सम्मिलित की गयी है तथा इनका पालन आवश्यक किया गया है। अनुबंधों के उल्लंघन करने पर राज्य शासन द्वारा खनिज पट्टों को निरस्त कर दिया जाता है। बंद खदानों का उपयोग भूमिगत जल के पुर्नभरण किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया गया है। पर्यावरण हेतु सुरक्षित तकनीकों तथा खनन विधियों के उपयोग को प्रोत्साहन तथा बढ़ावा सुनिश्चित किया गया है। पर्यावरण आडिट एवं सुधार के क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं। पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों मे राज्य "पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन"1 तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। "खनिज विकास निधि"2 के निर्माण हेतु कार्यवाही की जाती है।

3. सामाजिक सहभागिता को प्रोत्साहन

राज्य खनिज नीति के अंर्तगत सामाजिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने हेतु गौण खनिजों के पट्टे स्वीकृत करने हेतु गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों/महिलाओं की सहकारी समितियों, बेरोजगार युवकों आदि को प्राथमिकता प्रदान करना। वृहत स्तरीय खनन कंपनियों तथा लघु स्तरीय खनन उद्यमियों के मध्य परस्पर लाभ हेतु सहयोग विकसित करने हेतु व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। विस्तृत पुर्नवास योजना विकसित करना, स्थानीय जनता के हितों की रक्षा हेतु उन्हें खनिज विकास से होने वाले आर्थिक लाभ बाबत् शिक्षित करना।

4. खनिज प्रशासन का सुदृढ़ीकरण

जिला कार्यालयों को कम्प्यूटर के माध्यम से संचालनालय से जोड़कर विभिन्न जानकारियां/पीरियोडिकल रिटर्न्स ऑन–लाईन कराने की प्रक्रिया लागू की गयी है। संचालनालय, क्षेत्रिय कार्यालय व जिला कार्यालयों को आधुनिकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है।

5. खनिजो के अवैध खनन व परिवहन पर नियंत्रण

परिवहन में सर्तकता सुनिश्चित करने हेतु अन्य विभागों के समन्वय से तौल मशीन तथा जांच चौकियों की स्थापना की गयी है। खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर नियंत्रण रखने के लिये विद्यमान नियमों को और अधिक कठोर एवं पभावशाली बनाये गये हैं। खनिजों के परिवहन के लिए राज्य में चरणबद्ध रीति में ई परमिट पद्धति को विकसित किया गया है।अवैध उत्खनन का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय रिजाल्युशन उपग्रह डाटा को उपयोग में लाया जाता है।

निष्कर्ष –

खनिज विकास से संबंधित राज्य सरकार की भूमिका को खनिज नीति में विस्तृत रूप से अध्ययन कर पाया कि नियमों व अधिनियमों की समीक्षा कर उन्हें मूल विशेषताओं के अनुकूल बनाया गया है। इस नीति में बुनियादी सुविधाओं के अनुरूप राज्य के खनन कार्यों में सुविधा, अन्वेषण व खनन का विनियमन निहित है। खनन कार्यकलापों में राज्य एजेंसी व विनियामकों के बीच वांछित दूरी कायम रखी गयी है। खनिज क्षेत्र में दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने तथा निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु एक स्थिर, पारदर्शी, प्रभावी संस्थागत एवं नियामक ढाँचा स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

संदर्भित ग्रंथ सूची

1. छत्तीसगढ़ राज्य खान एवं खनिज (विनियम तथा विकास)
2. छत्तीसगढ़ राज्य खनिज रियायत नियम
3. छत्तीसगढ़ राज्य खनिज नीति 2013
4. खनिज संरक्षण तथा विकास नियमावली
5. www.chhttisgarhmines.gov.in
6. www.mines.nic.in
7. www.cmdc.co.in
8. छत्तीसगढ़ राज्य में "खनिज साधन विभाग" के प्रबंधन व संगठन व्यवस्था एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन (2003–2013 तक) डॉ. श्वेता तिवारी, डॉ. एस. एस. भाटिया।

प्राचार्य
शास.रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय
छुरिया
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

Scanned by CamScanner